ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ सिंडिकेट Syndicate

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संग्रह पुस्तिका
COMPENDIUM FOR RETIREES

आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए
"आपका अभिनंदन...!"

मानव संसाधन व संगठन विकास अनुभाग
मानव संसाधन विभाग

Human Resources & Organisation Development Section
Human Resources Wing

विषय वस्तु

पृष्ठ सं.

श्री एल.वी. प्रभाकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	... ...	1
श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक का संदेश	... ...	2
श्री एल.वी.आर. प्रसाद, मुख्य महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग का संदेश	... ...	3
प्रस्तावना	... ...	4
भविष्य निधि (पी एफ)	... ...	5
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	... ...	5
उपदान	... ...	9
पेंशन	... ...	11
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति	... ...	14
केनराइट्स ऐप	... ...	16
विशेषाधिकार छुट्टी (पीएल) नकदीकरण	... ...	18
सीबीओएसआर का विनियमन 20 [3] [iii] के लागू मामले	... ...	19
बैंक डकैती के मामले में डकैतों / लुटेरों का विरोध करने के लिए इनाम की योजना	... ...	20
सामूहिक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी (ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी)	... ...	21
दुर्घटना के कारण मृत्यु	... ...	21
अधिवर्षिता पर स्मृति चिह्न (मेमेंटो)	... ...	21
अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय स्थानांतरण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति	... ...	21
अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने के बाद दो महीने के लिए क्वार्टर/टेलीफोन का प्रतिधारण(रिटेंशन)	... ...	22
अधिवर्षिता के बाद अधिकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध फर्नीचर का प्रतिधारण(रिटेंशन)	... ...	23
रियायती ब्याज दर के तहत आवास ऋण को जारी रखना	... ...	23

कार ऋण के तहत सीमाओं/देयताओं को जारी रखना 23

अप्रत्याशित परिस्थितियों में रियायती ब्याज दर पर आवास ऋण जारी रखना 24

सेवानिवृत्त अधिकारियों को पहचान पत्र 24

जमाराशियों पर अधिमानी ब्याज दर 24

सेवा प्रभार में रियायतें 25

चिकित्सा जांच 26

औषधालय 27

सेवानिवृत्त अधिकारियों को वसूली एजेंट के रूप में नियुक्त करना 27

सेवानिवृत्ति के बाद रोज़गार लेने की अनुमति 28

कानूनी सहायता 29

बैंक की ओर से न्यायालय जाँच आदि में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/विराम भत्ता 29

सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए आईबीए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना 30

हॉलिडे होम 37

सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग के संबंध में पॉलिसी 38

केनरा पेंशन 38

गृह पत्रिका और पुस्तकालय 41

सेवानिवृत्ति के लिए कैसे तैयार हों 42

सेवानिवृत्ति के लिए स्वयं को कैसे अनुकूल करें ? 44

सेवानिवृत्ति में स्वास्थ्य / स्वस्थ सेवानिवृत्ति 46

सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियां – प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए युक्तियां (टिप्स) 47

आनंद लें 49

महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर एवं संपर्क का विवरण 52

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा की युक्तियाँ (टिप्स): क्या करें और क्या न करें 54

श्री एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
का संदेश

सेवानिवृत्ति किसी के भी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह व्यक्ति के दशकों के दीर्घ प्रयासों और कड़ी मेहनत का तार्किक निष्कर्ष – यानी सही बिदाई उपहार है। यह जीवन का वह चरण है जो व्यक्ति को जीवन को पूरी तरह से तलाशने, अनुभव करने और आनंद लेने के साथ–साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अपनी अंतर्निहित क्षमता को समृद्ध और जीवंत करने और जीवन के दूसरे चरण की शुरुआत करने की दिशा में एक सुनहरा दौर है।

प्रत्येक संगठन परीक्षणों और संकटों के मार्ग से गुज़रता है। हमारा बैंक समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए संगठनात्मक विकास और विस्तार के उस महत्वपूर्ण चरण के दौरान हमारी मानव संसाधन संपत्तियों, हमारे कर्मचारियों (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई कड़ी मेहनत और योगदान के कारण ही आज इस प्रतिष्ठित स्थिति को हासिल कर पाया और इसी के फलस्वरूप, हमारा बैंक अब सफलता और यश की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। उनके अमूल्य ज्ञान और अद्वितीय कार्यशैली के ज़रिए उन्होंने बैंक को आगे बढ़ने और समृद्धि हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। एक संस्था के रूप में, हम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति उच्च सम्मान रखते हैं और उन्हें बैंक के आदर्श ब्रैंड एंबेसडर मानते हैं जो जनता और हितधारकों के बीच हमारी छवि को निरंतर बनाए रखते हैं।

हमारे मानव संसाधन विभाग द्वारा परिकल्पित **"सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संग्रह पुस्तिका"** सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाएं, वित्तीय योजना और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित मामलों में "एकल सॉल्यूशन" प्रदान करने के लिए प्रकाशित की गई है, जो उनके जीवन को अधिक आनंददायक और आसान बना देगी।

इस पुस्तिका को प्रकाशित करने में मानव संसाधन विभाग की पहल और प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और अपने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से इससे मार्गदर्शित होने का अनुरोध करता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी 30.03.2022

श्री देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
का संदेश

'सेवानिवृत्ति' से जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है जो जीवन को पूरी तरह से तलाशने के कई अवसरों को उजागर करती है, जीवन को पूर्णतया अनुभव करने व आनंद लेने और अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए कार्य करने का मौका प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति वह महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ मुख्य ज़िम्मेदारियों को निभाने के बाद, कोई भी व्यक्ति, जीवन के बेहतर पहलुओं पर अधिक ध्यान दे सकता है।

हमारे हजारों कर्मचारी, जो सेवा में रहते हुए संगठन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण हमारा बैंक समय की कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुआ है। बैंक की सेवा से निवृत्त होने के पश्चात्, वे हम सभी के लिए एक प्रकाशस्तंभ और एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उभरे हैं और यह महान संस्था उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के प्रति हमेशा आभारी है।

हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके प्रियजनों को इस नए दौर में खुशी और सफलता के साथ आगे बढ़ने में मदद करने के उद्देश्य से, हमारे कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में, बैंक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाएं और उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य पहलुओं को जोड़कर, **"सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संग्रह पुस्तिका"** का प्रकाशन किया है ।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तिका का अध्ययन सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

30.03.2022

श्री एल.वी.आर. प्रसाद
मुख्य महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग
का संदेश

जब हम यह सोचते हैं कि हम किसी राह के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो अक्सर हम स्वयं को किसी नए रास्ते की शुरुआत में पाते हैं। सेवानिवृत्ति, भले ही किसी के पेशेवर ज़िंदगी के लिए एक तार्किक परिणति लाती है, यह असाधारण अवसरों का एक नया क्षितिज भी प्रस्तुत करती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सेवानिवृत्ति कई लोगों के लिए व्यक्तिगत विकास का समय है, जो अधिक खुलापन और संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। यह तनावरहित होकर, विश्राम, मनोरंजन और ऐसे कार्यों को करने का समय है जो हम हमेशा से करना चाहते थे।

हमारा बैंक हमेशा ''कर्मचारी कल्याण'' में आगे रहा है और हमारी योजनाओं और नीतियों को हमारे कर्मचारियों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप रूपायित किया गया है। सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी कभी भी इस महान संस्था से अलग नहीं होता है, बल्कि आपसी संबंध आकर्षक और संतोषजनक रूप धारण कर और मजबूत होता है। हमारी संगठनात्मक संस्कृति और परंपरा हमेशा हमारे कर्मचारियों की, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, उनकी भलाई के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। एक संगठन के रूप में, हम उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का बहुत आदर और सम्मान करते हैं।

''**सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संग्रह पुस्तिका**'', सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं को समेकित करने और उनके जीवन के नए दौर की योजना को सरल बनाने के लिए कुछ युक्तियों(टिप्स) के साथ मदद करने का एक प्रयास है। यहाँ दी गई जानकारी विस्तृत नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्ति विषय पर बैंक द्वारा अब तक जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और अन्य सामग्रियों का संक्षिप्त विवरण है।

इस पुस्तिका का आनंद उठाएं और आशा है कि यह पुस्तिका सभी के लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी।

एल.वी.आर. प्रसाद
मुख्य महा प्रबंधक　　　　30.03.2022

प्रस्तावना

सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले सेवानिवृत्ति लाभ विभिन्न द्विपक्षी समझौते और विनियमों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों, दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं। प्रस्तुत पुस्तिका उन सभी परिपत्रों और दिशानिर्देशों को समेकित करने का एक प्रयास मात्र है। आशा है कि यह पुस्तिका सभी के लिए लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगी।

हम सूचित करना चाहते हैं कि उक्त के संबंध में प्रासंगिक जानकारी को समेकित करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है। तथापि कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई जानकारी एक संक्षिप्त सूचना देने मात्र के लिए है और किसी भी संदेह या सटीक/पूर्ण विवरण की आवश्यकता के मामले में, संबंधित विनियमों / नियमों / परिपत्रों का संदर्भ लें। यह ध्यान दें कि उसमें निहित दिशानिर्देश / प्रावधान / द्विपक्षी समझौते ही मान्य होंगे।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुकूल उपाय

1. पेंशन और संराशीकरण की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना
2. डिजिटल पीपीओ जारी किया जाना
3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के अगले कार्य दिवस पर सेवांत लाभों को जमा किया जाना
4. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मासिक प्रतिपूर्ति के लिए सेवानिवृत्ति माह के अंतिम सप्ताह के दौरान अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।
5. भूतपूर्व कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए ''एप्ल संपर्क बिंदु''।

सेवानिवृत्ति लाभ

भविष्य निधि (पीएफ):
यदि कर्मचारी पीएफ विकल्पी है, तो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को, संचित ब्याज के साथ पीएफ में कर्मचारी का और बैंक का अंशदान, प्राप्त होगा। यदि कर्मचारी पेंशन विकल्पी है, तो सेवानिवृत्ति पर, उसे संचित ब्याज के साथ पीएफ में कर्मचारियों का अंशदान ही प्राप्त होगा। पीएफ का निपटान केनरा बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के प्रावधानों के अधीन है।

दिनांक 01.04.2021 से, कर्मचारी भविष्य निधि के विनियम 23(बी) के तहत, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कर्मचारियों के पीएफ शेष स्वीकार करने की सुविधा बंद कर दी गई है। तदनुसार, अब सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों को बैंक की सेवाओं से निवृत्ति के तुरंत बाद लागू ब्याज सहित पूर्ण पीएफ राशि का भुगतान किया जा रहा है।

कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर पात्र पीएफ राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को या नामांकन के अभाव में कानूनी वारिसों को किया जाएगा।

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किए गए कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे पीएफआरडीए द्वारा तैयार की गई नई पेंशन योजना [डीसीपीएस] के तहत प्रावरित हैं। [प्रधान कार्यालय परिपत्र संख्या 128/2013 दिनांक 21.03.2013 और 56/2022 दिनांक 31.01.2022]।

क. अधिवर्षिता पर राशि का आहरण

जब कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु / 60 वर्ष की आयु का हो जाता है, तो वह एनपीएस (75 वर्ष तक) में निवेशित रहने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से बाहर निकल सकता है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1) **एनपीएस खाते को जारी रखना :**
   कर्मचारी 60 वर्ष / अधिवर्षिता की आयु के बाद भी 75 वर्ष तक एनपीएस खाते को बंद किए बिना अंशदान को जारी रख सकता है। 60 वर्ष के बाद का यह अंशदान भी एनपीएस के तहत विशेष कर लाभ के लिए पात्र है।

2) **अपनी पेंशन शुरू करें:**
   यदि कोई कर्मचारी एनपीएस खाते को बनाए रखना / स्थगित करना नहीं चाहता है, तो वह एनपीएस से बाहर निकल सकता है। वह ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से निकास

अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है और एनपीएस से बाहर निकलने के दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

एनपीएस से बाहर निकलते समय वह एकमुश्त राशि के रूप में संचित पेंशन राशि का 60% निकाल सकता है और उन्हें एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करनेवाली एक वार्षिकी खरीदने के लिए उस संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% का उपयोग करना होगा।

यदि कुल संचित पेंशन राशि ₹5 लाख से कम या उसके समतुल्य है, तो कर्मचारी 100% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकता है।

एनपीएस – पेंशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर :

i) **वार्षिकी क्या है?**

एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी, कर्मचारी द्वारा वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से प्राप्त मासिक राशि को संदर्भित करता है। कर्मचारी द्वारा तय किए गए पेंशन धन का निर्धारित प्रतिशत (न्यूनतम 40%) पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है।

ii) **वार्षिकी सेवा प्रदाता कौन हैं?**

एनपीएस से बाहर निकलने के बाद कर्मचारी को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) ज़िम्मेदार हैं। ये एएसपी मूल रूप से बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस कर्मचारियों को वार्षिकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में, पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध एएसपी निम्नलिखित हैं:–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
3. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
4. स्टार यूनियन दाई–इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
5. एचडीएफसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
6. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
7. कोटक महिंद्रा जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
8. इंडियाफर्स्ट लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड
9. मैक्स लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड

नोट: एएसपी को सूची में शामिल किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और भविष्य में एएसपी की सूची बदल सकती है।

iii) **एनपीएस के तहत कौन सी वार्षिकी योजनाएं उपलब्ध हैं?**
एएसपी को एनपीएस सेवानिवृत्ति फॉर्म प्रस्तुत करते समय कर्मचारियों को निम्नलिखित योजनाओं में से एक को चुनना होगा:

क) **आजीवन वार्षिकी** – वार्षिकीदार को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीदार की मृत्यु होने पर, वार्षिकी / पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा और आगे कोई राशि देय नहीं होगी।

ख) **मृत्यु होने पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ आजीवन वार्षिकी** – वार्षिकीधारक को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीदार की मृत्यु पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य का 100% नामिती(तियों) को वापस कर दिया जाएगा।

ग) **जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ आजीवन देय वार्षिकी** – वार्षिकीधारक को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीदार की मृत्यु होने पर, जीवनसाथी को आजीवन वार्षिकी देय होगी। जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और आगे कोई राशि देय नहीं होगी।

घ) **जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ खरीद मूल्य की वापसी सहित आजीवन देय वार्षिकी** – वार्षिकीदार को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीदार की मृत्यु होने पर, जीवनसाथी को आजीवन वार्षिकी देय होगी। जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य का 100% नामिती(तियों) को वापस कर दिया जाएगा। यदि वार्षिकीदार की मृत्यु से पहले जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है, तो वार्षिकीदार की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य नामिती/नामितियों को वापस कर दिया जाएगा।

ङ) **एनपीएस – पारिवारिक आय विकल्प** – वार्षिकीदार को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीदार की मृत्यु होने पर, जीवनसाथी को आजीवन वार्षिकी देय होगी। जीवनसाथी की मृत्यु होने पर, आश्रित माता को और फिर अभिदाता(वार्षिकीदार) के आश्रित पिता को वार्षिकी देय होगी। अंतिम वार्षिकीदार की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य का 100% अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में अभिदाता के कानूनी वारिस, जैसा भी लागू हो, को वापस कर दिया जाएगा।

iv) **एएसपी द्वारा दी जाने वाली संभावित(अनिश्चित) पेंशन राशि।**
पेंशन राशि की गणना एएसपी द्वारा प्रदान की गई सांकेतिक वार्षिकी दरों (समय–समय पर परिवर्तनाधीन) के आधार पर की जा सकती है। हालांकि, वास्तविक वार्षिकी राशि, वार्षिकी की खरीद के समय प्रचलित दरों पर निर्भर करेगी।

v) **क्या कर्मचारी वार्षिकी खरीदने के बाद वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी का प्रकार बदल सकता है?**

एक बार एक वार्षिकी खरीद लेने के बाद, वार्षिकी सेवा प्रदाता का रद्दीकरण या अन्य किसी सेवा प्रदाता या वार्षिकी योजना में पुनर्निवेश के विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि यह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (वार्षिक अनुबंध के नियमों के अनुरूप प्रदान की गई फ्री लुक अवधि या आईआरडीए द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई) के भीतर न हो।

अधिवर्षिता प्राप्त होने पर एनपीएस आहरण(निकासी) की प्रक्रिया :

क. अधिवर्षिता :

अधिवर्षिता प्राप्त होने पर आहरण(निकासी) करने के अनुरोध को अभिदाता द्वारा सीआरए (एनएसडीएल) को अपने नोडल कार्यालय / पीओपी, जैसा भी लागू हो, यानी कि एसपीएफ़ व उपदान अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है। नोडल कार्यालय / पीओपी को अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए निकासी आवेदन की संपूर्णता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए और निकासी आवेदन को सीआरए (एनएसडीएल) द्वारा राशि भुगतान करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए।

ख) पूर्व–परिपक्वता बंदकरण :

i. **कर्मचारी की मृत्यु के मामले में**

एनपीएस को मुख्य रूप से, कर्मचारियों को उनके जीवन के सेवानिवृत्ति चरण के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया है। इसके साथ ही यदि कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक स्रोत भी है। योजना के नकदीकरण से पूर्व किसी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, उसकी नामिती / कानूनी वारिस एनपीएस खाते में उपलब्ध राशि को निकाल सकता है। यह राशि पूरी तरह से एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है या कर्मचारी / अभिदाता की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन के लिए वार्षिकी खरीदने का विकल्प उपलब्ध होगा।

ii. **कर्मचारी के त्यागपत्र / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में :**

बैंक की सेवाओं से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले किसी भी समय बैंक सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, कर्मचारियों को या तो एनपीएस खाते (पीआरएएन) को किसी नियोक्ता / संगठन में स्थानांतरित करने या एनपीएस को परिपक्वता पूर्व बंद करने का (एनपीएस में कम से कम 10 वर्षों से बने रहने वाले अभिदाता ही पात्र हैं) विकल्प चुनने की अनुमति है। सेवा समाप्त कर्मचारी को अपने पीआरएएन को स्थानांतरित करने / बंद करने के लिए निम्नलिखित कुछ चरणों का पालन करना होगा।

किसी नियोक्ता / संगठन में पीआरएएन / एनपीएस खाते को स्थानांतरित करने के लिए: एनपीएस खाता स्थानांतरणीय है। कर्मचारी को पीआरएएन अंतरित करने के लिए नए नियोक्ता के पास फॉर्म एस–3 प्रस्तुत करना होगा।

एनपीएस की परिपक्वतापूर्ण बंदकरण(निकासी) के लिए: एनपीएस से समयपूर्व निकास (अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने से पूर्व / 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व) के मामले में, अभिदाता की संचित पेंशन राशि से कम से कम 80% का उपयोग नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाना है । शेष धनराशि को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। तथापि, कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही एनपीएस से बाहर निकल सकता है।

यदि कुल राशि ₹2.50 लाख से कम या उसके समतुल्य है, कर्मचारी / अभिदाता 100% एकमुश्त आहरण का विकल्प चुन सकता है।

ध्यान दें:

कृपया ध्यान दें कि, एनपीएस का बंदकरण(निकासी) और पैनल में शामिल एएसपी से वार्षिकी की खरीद, दो अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं। कर्मचारियों / अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) से वार्षिकी योजना खरीदना अनिवार्य है। एएसपी के पास विशेष वार्षिकी योजना की उपलब्धता, वार्षिकी भाव आदि के बारे में अधिक जानकारी सीआरए की वेबसाइट पर निम्न लिंक में उपलब्ध हैं:

www.npscra.nsdl.co.in/annuity-service-providers.php

एएसपी योजना संबंधी विवरण और वार्षिकी चयन मैट्रिक्स परिवर्तित हो सकता है। वार्षिकी विवरण भरने से पूर्व कृपया सीआरए की वेबसाइट देखें। पीएफआरडीए द्वारा समय–समय पर की गई एएसपी की सूचीकरण के आधार पर संबंधित सूची में परिवर्तन हो सकता है।

उपदान:

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत वर्तमान में उपदान की अधिकतम देय राशि ₹20 लाख है। केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 और केनरा बैंक उपदान निधि नियम व विनियम के तहत देय उपदान राशि की कोई सीमा नहीं है। देय उपदान राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत:

उपदान राशि = वेतन* x 15 x सेवारत वर्षों की संख्या ÷ 26

* वेतन = मूल वेतन, महंगाई भत्ता और स्थायी स्वरूप के सभी भत्ते जो पीएफ के लिए पात्र हैं।

न्यूनतम पात्रता सेवा : 5 वर्ष ।

छह महीने और उससे अधिक की सेवा की अवधि को अगले उच्चतर वर्ष में पूर्णांकित किया जाएगा।

ख. केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 के तहत (अधिकारियों के मामले में):

एक अधिकारी को देय उपदान राशि, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, अधिकतम 15 महीने के वेतन के अधीन, एक महीने का वेतन होगा ।

बशर्ते कि जहाँ एक अधिकारी ने 30 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, वह 30 वर्षों से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि के लिए पात्र होगा।

यदि पूर्ण सेवा वर्षों से अधिक सेवा का अंश 6 महीने या उससे अधिक है, तो उक्त अवधि के लिए उपदान का भुगतान यथानुपात किया जाएगा।

उपदान की गणना के लिए यथा सेवा समाप्ति की तारीख को अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए वेतन = मूल वेतन + स्टैगनेशन वेतन वृद्धि + अन्य स्थायी प्रकृति के भत्ते जो केवल पीएफ के लिए पात्र हैं।

अधिक जानकारी के लिए केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 के विनियमन 46 का संदर्भ लिया जाए ।

अधिकारियों के मामले में, उपदान की गणना, दोनों उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 और केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के तहत की जाती है, और इनमें से जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद है उसका भुगतान किया जा रहा है।

ग. केनरा बैंक उपदान निधि नियम व विनियमों के तहत (कामगार कर्मचारियों के मामले में):

उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर होगी, जो अधिकतम पंद्रह महीने के वेतन के अधीन होगी और यदि कुल अविच्छिन्न(निरंतर) सेवा वर्षों की संख्या तीस वर्षों से अधिक है तो अतिरिक्त उपदान के रूप में तीस वर्षों से अधिक की प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन की दर से, अतिरिक्त राशि देय होगी। (छह महीने और उससे अधिक की सेवा को अगले उच्चतर वर्ष में पूर्णांकित किया जाएगा और 6 महीने से कम की अवधि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा)

कामगार कर्मचारियों के मामले में, सेवा की समाप्ति से तुरंत पहले 12 महीनों के वेतन घटकों के औसत को हिसाब में लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, वेतन = मूल वेतन + स्टैगनेशन वेतन वृद्धि + अन्य स्थायी स्वरूप के भत्ते जो केवल पीएफ के लिए पात्र हैं।

कामगार कर्मचारियों के मामले में उपदान की गणना, दोनों उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 और केनरा बैंक उपदान निधि नियम व विनियम के तहत की जाती है, और इनमें से जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद है, उसका भुगतान किया जा रहा है।

उपदान के भुगतान पर उपलब्ध टीडीएस छूट सीमा का विवरण निम्नवत है:

क यदि कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत प्रावरित है – निम्नलिखितों पर धारा 10(10)(ii) के तहत छूट उपलब्ध है:

1. प्राप्त उपदान राशि
2. ₹20 लाख
3. सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (अंतिम आहरित वेतन के आधार पर) या 6 महीने से अधिक के अंश के लिए (एक महीने में दिनों की संख्या 26 के रूप में लिया जाना है)।

ख. यदि कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत प्रावरित नहीं है – निम्नलिखितों पर धारा 10(10)(iii) के तहत छूट उपलब्ध है:

1. प्राप्त उपदान राशि
2. ₹20 लाख
3. सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने का वेतन (पिछले 10 महीनों के वेतन के आधार पर)।

पेंशन:

i. पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले और अनुमत कर्मचारी ही केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के प्रावधानों के अधीन पेंशन के लिए पात्र हैं।

ii. दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी, केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावरित नहीं हैं, लेकिन वे पीएफआरडीए द्वारा रूपायित नई पेंशन योजना [डीसीपीएस] के अंतर्गत प्रावरित हैं।

iii. पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, यथा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की तारीख को कर्मचारी को कम से कम दस साल की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी। (विनियमन 14)

iv. एक कर्मचारी जिसने पेंशन का विकल्प चुना है, 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने पर, कम से कम 3 महीने की नोटिस देकर, केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियमन 29 के तहत सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकता है। (विनियमन 29)

v. अर्हक सेवा के ऊपर, छः महीने से अधिक की सेवा अवधि को एक वर्ष माना जाएगा।

vi. बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी का इस्तीफा या पदच्युति या निष्कासन या सेवा समाप्ति, उसकी पूरी पिछली सेवा को खारिज कर लेगा और इसके परिणामस्वरूप पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। (विनियमन 22)

vii. कर्मचारी जिसकी अर्हक सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक है, पूर्ण पेंशन के लिए पात्र है।

viii. पेंशन भुगतान के लिए वेतन का अर्थ है, सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित औसत वेतन (जो पीएफ के लिए पात्र है)।

ix. यदि अर्हक सेवा 33 वर्षों से कम है, तो मूल पेंशन = वेतन x अर्हक सेवा ÷ 66 होगी।

x. मूल पेंशन का अधिकतम 1/3 भाग तक संराशीकृत किया जा सकता है।

xi. प्रति माह प्राप्य कुल पेंशन = संराशीकरणोपरांत मूल पेंशन + संराशीकरण पूर्व मूल पेंशन पर लागू महंगाई राहत (डीआर) दर। महंगाई राहत (डीआर) दर हर वर्ष फरवरी और अगस्त में संशोधित की जाएगी।

xii. केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियमन 41 के अनुसार संराशीकरण फैक्टर की गणना की जाती है।

xiii. संराशीकरण राशि पूरी तरह से आयकर से मुक्त है। संराशीकरण के बाद, पेंशनभोगी को कुल पेंशन = शेष मूल पेंशन (मूल पेंशन – संराशीकृत भाग) + संराशीकरण से पूर्व मूल पेंशन पर लागू महंगाई भत्ता युक्त कुल पेंशन मिलेगी। पेंशन के संराशीकृत हिस्से को संराशीकरण संवितरण की तारीख से 15 साल बाद पुनर्स्थापित किया जाएगा। संराशीकरण तिथि, राशि आदि की सूचना पेंशनभोगी को जारी किए गए पीपीओ में दी जाएगी। दूसरी संराशीकरण और संराशीकरण की समय पूर्व पुनर्स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

xiv. पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधान कार्यालय परिपत्र 787/2021 दिनांक 09.12.2021 का संदर्भ लें। दिनांक 01.01.2022 से पेंशनभोगी की पंजीकृत ईमेल आईडी पर डिजिटल पीपीओ भेजे जा रहे हैं।

xv. मासिक पेंशन का भुगतान प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाएगा।

xvi. कर गणना के उद्देश्य से पेंशन को वेतन के रूप में माना जाता है और उचित आयकर की कटौती की जाएगी।

xvii. भूतपूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी, जिनकी पेंशन के रूप में प्राप्त आय, कर योग्य है, उन्हें हर वर्ष अप्रैल महीने के दौरान निवेश संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। बैंक की वेबसाइट के माध्यम से पेंशनभोगियों द्वारा निवेश संबंधी घोषणा, ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करने का ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही पेंशन पैकेज में घोषणा संबंधी राशि अपडेट की जाती है, पेंशनभोगी को उनकी ई–मेल आईडी पर ई–मेल के माध्यम से पावती प्राप्त होगी। यदि पेंशनभोगी इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ हैं तो वे निवेश संबंधी घोषणा की भौतिक प्रतियां कूरियर/डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं या वे इसे कर्मचारी पेंशन निधि अनुभाग के ई–मेल आईडी hopenfund@canarabank.com पर अपने पंजीकृत ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हर वर्ष 30 अप्रैल तक निवेश घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनकी मासिक पेंशन से पात्र टीडीएस को काट लिया जाएगा।।

xviii. भूतपूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी, जिनकी पेंशन के रूप में प्राप्त आय, कर योग्य है, उन्हें हर वर्ष दिनांक 31 दिसंबर या उससे पहले ई–मेल या डाक के माध्यम से निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी मासिक पेंशन से पात्र टीडीएस काट लिया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर और अतिरिक्त टीडीएस पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

xix. डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म 16 और पेंशन संवितरण विवरण, बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध भूतपूर्व कर्मचारी खंड से डाउनलोड किया जा सकता है।

xx. सेवानिवृत्ति के वर्ष में, सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो फॉर्म–16 प्राप्त होंगे, एक बैंक से (वेतन, पीएल नकदीकरण, कर योग्य उपदान आदि के लिए) और दूसरा पेंशन निधि से, जो विशेष रूप से संवितरित पेंशन पर आधारित होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से समेकित आय के लिए विवरणी दाखिल करने का अनुरोध किया जाता है।

xxi. पारिवारिक पेंशन: (i) पेंशन विकल्पी कर्मचारी या (ii) पेंशनभोगी भूतपूर्व कर्मचारी की मृत्यु पर जीवनसाथी / पारिवारिक सदस्य पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे। मौजूदा दिशानिर्देशों (वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग और आईबीए द्वारा निर्गत) के अनुसार, दिनांक 01.04.2021 से, बिना कोई सीमा के, मृत कर्मचारी के ''अंतिम आहरित वेतन'' के 30% की समान दर पर पारिवारिक पेंशन देय है। पेंशन उद्देश्य के लिए 'परिवार' पेंशन विनियम, 1995 के विनियमन 2(ओ) में परिभाषित है और इसका संदर्भ लिया जा सकता है ।

xxii. पारिवारिक पेंशन केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अध्याय VII के अनुसार देय है।

xxiii. केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995, बैंक की आंतरिक नेट 'केननेट' और बैंक की वेबसाइट यानी **www.canarabank.com**, दोनों पर उपलब्ध है।

xxiv. पेंशन खाते के अंतरण के लिए अनुरोध, यदि कोई हो, तो मौजूदा पेंशन भुगतान शाखा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनकी सिफारिश के साथ कर्मचारी पेंशन निधि अनुभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

xxv. यदि मोबाइल नंबर और ई–मेल पते में कोई परिवर्तन है, तो पेंशनभोगियों को पेंशन आहरण खाते में इसे अद्यतन करना आवश्यक है। परिवर्तित पते की जानकारी, अद्यतन करने के लिए वैध प्रमाण के साथ पेंशन निधि अनुभाग को सूचित की जानी है।

xxvi. विश्रांती संवाद पत्र / भूतपूर्व कर्मचारियों से संबंधित अन्य संसूचनाएं, बैंक की वेबसाइट में कर्मचारी खंड के तहत उपलब्ध कराने के साथ–साथ केनराइट्स ऐप में भी उपलब्ध कराया गया है।

xxvii. पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी ''केनाराइट्स'' मोबाइल ऐप का उपयोग करें। पेंशन निधि अनुभाग द्वारा एचआरएमएस में भूतपूर्व कर्मचारियों के पेंशन विवरण अद्यतन करने के पश्चात, पेंशनभोगी इसे अपने केनराइट्स लॉगिन में देख सकते हैं।

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति :

भूतपूर्व कर्मचारी पेंशनभोगियों और उनके पारिवारिक पेंशनभोगियों को, मासिक पेंशन की निर्बाध प्राप्ति के लिए, हर वर्ष नवंबर महीने के दौरान अपना जीवन प्रमाणपत्र (एलसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है। जीवन प्रमाणपत्र को परेशानी मुक्त प्रस्तुत करने के लिए, पेंशनभोगियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध हैं। यदि पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाणपत्र पेंशन निधि अनुभाग में सफलतापूर्वक अद्यतन हो जाता है, तो उन्हें एक पुष्टिकरण एसएमएस प्राप्त होगा।

अधिकारी संवर्ग में सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व कर्मचारी पेंशनभोगियों को, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष तक, जीवन प्रमाणपत्र के अलावा, गैर–रोज़गार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है । भूतपूर्व कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनर्विवाह / विवाह के संबंध में भी घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, मृतक भूतपूर्व कर्मचारी के जीवनसाथी के अलावा अन्य पारिवारिक पेंशनभोगियों (जैसे– पुत्र / पुत्री / माता / भूतपूर्व कर्मचारी के परिवार सदस्य) को जीवन प्रमाणपत्र और पुनर्विवाह / विवाह की घोषणा के साथ गैर–रोज़गार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं:

क. जीवन प्रमाण:

जीवन प्रमाण, पेंशनभोगियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र केंद्रीय भंडार में संग्रहीत किया जाएगा, जिसे बैंक द्वारा एक्सेस किया जाएगा। पेंशनभोगी नीचे सूचीबद्ध विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ''जीवन प्रमाण'' का उपयोग करके अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) प्रस्तुत कर सकते हैं:

''उमंग'' मोबाइल एप्लिकेशन

पीसी एप्लिकेशन से जीवन प्रमाण वेबसाइट (www.jeevanpramaan.gov.in)

डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी)

हमारी कोई भी शाखा

डाकघर / डिजिटल सेवा केंद्र

ख. द्वारस्थ बैंकिंग सेवा:

पेंशनभोगी द्वारस्थ बैंकिंग सेवा (डीएसबी) के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) को प्रस्तुत कर सकता है। एक बार जब पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है, तो एक अधिकृत डीएसबी एजेंट डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी के पास जाएगा। वर्तमान में, 100 केंद्रों/स्थानों की पहचान की गई है, जहां पेंशनभोगी संबंधित एजेंसियों से सेवाओं के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पेंशनभोगी निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से अपने स्थान के अनुसार इस सेवा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं:

यूआरएल **https://doorstepbanks.com or https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login**

मोबाइल ऐप ''डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी)'' को गूगल प्ले स्टोर (निवास के शहर के आधार पर अत्याति टेक्नॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड या इंटेग्रा माईक्रो सिस्टम्स (प्रा) लिमिटेड का डोरस्टेप बैंकिंग ऐप डाउनलोड किया जा सकता है) से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लिकेशन केवल एंड्रॉयड डिवाइस में ही उपलब्ध है।

टोल फ्री नंबर: 1800 121 3721 or 1800 103 7188.

ग. वीसीआईपी (वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया)

बैंक ने हाल ही में वीसीआईपी (वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र को अद्यतन करने का विकल्प की शुरुआत की है। वीसीआईपी के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र को अद्यतन करने के लिए, पेंशनभोगियों को किसी भी शाखा/कार्यालय में जाने की

आवश्यकता नहीं होगी और इसे इंटरनेट सक्षम स्मार्टफोन की मदद से अपने घर पर आराम से किया जा सकता है।

पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी वांछित तिथि और समय स्लॉट बुक कर सकते हैं।

पैन कार्ड, आधार, हस्ताक्षर और पेंशनभोगी के स्थान के विवरण को कैप्चर करने के माध्यम से पहचान की जाती है।

वीसीआईपी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात्, जीवन प्रमाणपत्र अपने आप अद्यतन हो जाएगा।

यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

घ. शाखा को मैनुअल जीवन प्रमाणपत्र की भौतिक प्रस्तुतिः

यदि पेंशनभोगी आधार की अनुपलब्धता / वृद्धावस्था के कारण बायोमेट्रिक मिलान की समस्याओं के कारण जीवन प्रमाण के माध्यम से अपने जीवन प्रमाणपत्र को अद्यतन करने में असमर्थ है और उपरोक्त ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, तो उनके जीवन प्रमाणपत्र का भौतिक प्रारूप हमारी किसी भी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

ङ. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संघ भी पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से अद्यतन करने के लिए सहयता करते हैं।

च. इस अवधि के दौरान विदेश जाने वाले पेंशनभोगी वेबसाइट से जीवन प्रमाणपत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से सत्यापित कराने के पश्चात् अपना पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

- यदि निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने पर उन पेंशनभोगियों की पेंशन रोक दी जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं. 686/2021 दिनांक 18.10.2021 एवं 65/2022 दिनांक 05.02.2022 का संदर्भ लें।

केनराइट्स ऐप

केनराइट्स – केनरा बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी केनराइट्स मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉयड फोन प्रयोक्ता) तथा ऐप स्टोर (आई फोन प्रयोक्ता) से डाउनलोड कर सकते हैं या ''केनराइट्स'' को सर्च कर सकते हैं या इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है:

एंड्रॉयड प्रयोक्ताः

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canarabank.Canarites

आई फोन प्रयोक्ताः
https://apps.apple.com/in/app/canarites/id1358599661

''केनराइट्स'' मोबाइल ऐप अपने पेंशन प्रोफाइल, पेंशन संवितरण, निवेश आदि जैसी सभी आवश्यक सूचना प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐप मुख पृष्ठ (होम पेज) के शीर्ष में नवीनतम जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति प्रदर्शित करता है। यदि कर्मचारी पहले से ''केनराइट्स'' का पंजीकृत उपयोगकर्ता है, एक बार जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पेंशन स्वीकृत हो जाती है, तो ऐप में उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त प्रोफ़ाइल में अंतरित हो जाएगी और ऐप में विकल्प उनकी पेंशन से संबंधित जानकारी पर परिवर्तित हो जाएंगे।

ऐप में मुख पृष्ठ (होम पेज) मेनू का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. **पेंशनभोगी प्रोफाइलः** इस टैब में पेंशनभोगी प्रोफाइल विवरण जैसे – नाम, स्टाफ आईडी, पदनाम, जन्म तिथि, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, जीवनसाथी का नाम आदि शामिल हैं।

2. **पेंशन विवरण:** यह टैब पेंशन और कम्यूटेशन संबंधी विवरण प्रदान करता है यानी पेंशन का प्रकार, पीपीओ नंबर, पीपीओ तिथि, कम्यूटेशन स्वीकृति तिथि, कम्यूटेशन बहाली तिथि, कम्यूटेशन से पूर्व मूल पेंशन, कम्यूटेशन राशि इत्यादि।

3. **संवितरण विवरण:** यह टैब पिछले 12 महीनों के लिए पेंशन विवरण प्रदान करेगा जिसमें कम्यूटेशन के बाद मूल पेंशन, महंगाई राहत, आईटी कटौती (यदि कोई हो) और कुल देय पेंशन शामिल हैं।

4. **निवेश विवरण:** आयकर प्रावधानों के अनुसार पेंशनभोगी द्वारा वर्ष में किए गए निवेश का विवरण, निवेश की घोषित राशि, प्रमाण सत्यापित राशि की जाँच इस टैब के माध्यम से की जा सकती है।

5. **भूतपूर्व कर्मचारी पृष्ठ:** यह लिंक उपयोगकर्ता को हमारे बैंक की वेबसाइट पर भूतपूर्व कर्मचारियों के वेब पेज तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा।

6. **आंतरिक (इन–हाउस) प्रकाशन:** यह लिंक पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा जारी किए गए आंतरिक प्रकाशनों को देखने की सुविधा प्रदान करेगा जैसे – टुडेज़ टाइडिंग्स, एक्जिक्यूटीव डाइजेस्ट, श्रेयस, ओकेशनल पब्लिकेशन और विश्रांति न्यूज़लेटर।

7. **फॉर्म 16 भाग ए:** नवीनतम वित्त वर्ष के फॉर्म 16 (भाग ए) को डाउनलोड करने का विकल्प।

8. **फॉर्म 16 भाग बी:** नवीनतम वित्त वर्ष के फॉर्म 16 (भाग बी) को डाउनलोड करने का विकल्प।

विशेषाधिकार छुट्टी (पीएल) नकदीकरण:

क. वेतन और भत्तों के अनुसार पात्र घटक।

ख. वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्जित पीएल को यथानुपात पीएल खाते में जमा किया जाएगा।

ग. सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर अधिकतम 240 दिनों के पीएल का नकदीकरण किया जा सकता है।

घ. पीएल नकदीकरण की गणना के प्रयोजनार्थ वेतन की नवीनतम परिभाषा के लिए, समय–समय पर जारी द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट का संदर्भ लिया जाए।

सेवानिवृत्ति पर विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की गणना अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जाती है, और अधिकतम ₹3,00,000/– तक आयकर से छूट प्राप्त है।

त्यागपत्र के मामले में पीएल नकदीकरण अधिकतम 120 दिनों के अधीन संचित पीएल का 50% होगा।

सीबीओएसआर का विनियमन 20 [3] [iii] के लागू मामले:

जिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, उसकी सेवा, अधिवर्षिता की तारीख से समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह कार्यवाही समाप्त होने और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित होने तक सेवारत अधिकारियों के ही समान अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। संबंधित अधिकारी को अधिवर्षिता की तिथि के बाद कोई वेतन और/अथवा भत्ता प्राप्त नहीं होगा। यदि उसने पेंशन का विकल्प लिया है तो वह कार्यवाही पूरी होने तक और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 46 के अनुसार पीएफ और अनंतिम पेंशन के प्रति अपने स्वयं के योगदान को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा।

सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने या दो साल से अधिक की सेवा के रहते हुए /लापता होने और 55 वर्ष की आयु से पहले ही मेडिकल ग्राउंड पर अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त होने पर परिवार/कानूनी वारिस को लाभ उपलब्ध ।

अनुकंपा नियुक्ति की योजना या अनुकंपा नियुक्ति के एवज में एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान (प्रधान कार्यालय का परिपत्र 296/2020)

यह योजना 05/08/2014 से प्रभावी है।

हमारे बैंक के स्थायी कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य के लिए लागू है, जिनकी–

- सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है (आत्महत्या से मृत्यु सहित)
- 55 वर्ष की आयु से पहले ही मेडिकल ग्राउंड पर अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त होता है। {सरकारी मेडिकल कॉलेज / सरकारी ज़िला मुख्यालय अस्पतालों द्वारा विधिवत् नियुक्त मेडिकल बोर्ड / इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा नामित डॉक्टरों के पैनल(यानी मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग) द्वारा अक्षमता प्रमाणित की जानी है।}
- गुमशुदा है और 2 वर्ष से अधिक की सेवा बची है।

योजना के प्रयोजन के लिए, "कर्मचारी" का अर्थ केवल स्थायी रिक्ति के सापेक्ष नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी होगा, जो मृत्यु या 55 वर्ष की आयु से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय पूर्णकालिक या अंशकालिक वेतन पर सेवारत था तथा अनुबंध / अस्थायी / आकस्मिक आधार पर लगे कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसे भुगतान कमीशन के आधार पर किया गया हो, शामिल नहीं है।

आश्रित परिवार के सदस्य से तात्पर्य है:

- पति–पत्नी; या
- पूर्णतः आश्रित पुत्र (विधिक रूप से दत्तक पुत्र सहित); या

- पूर्णतः आश्रित पुत्री (विधिक रूप से दत्तक पुत्री सहित); या
- अविवाहित कर्मचारी के मामले में पूर्णतः आश्रित भाई या बहन

योजना के तहत नियुक्ति लिपिक या अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में ही की जाएगी।

पात्रता:
- परिवार ज़रूरतमंद है और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र है; तथा
- अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक, संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार से पद के लिए पात्र और उपयुक्त होना चाहिए।

अनुकंपा नियुक्ति की इस योजना के तहत 05/08/2014 को या उसके बाद हुई मृत्यु के मामले ही प्रावरित हैं। आम तौर पर मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच साल के भीतर ही पात्र आश्रित से योजना के तहत रोज़गार के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा।

दिनांक 04.08.2014 तक लंबित आवेदन या दिनांक 04.08.2014 को या उससे पहले हुई मृत्यु / या अन्य पात्र परिस्थितियों से उत्पन्न अनुग्रहपूर्वक / अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित दिनांक 05.08.2014 को या उसके बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनों की जांच प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 14.02.2005 और 262/2007 दिनांक 24.09.2007 के अनुसार जारी रखी जाएगी।

बैंक डकैतियों के मामले में डकैतों / लुटेरों का विरोध करने या आतंकवादी हमलों के कारण हुई मौत के मामले में, मृत कर्मचारी के आश्रितों पर परिपत्र संख्या 243/2013 दिनांक 30.05.2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होना जारी रहेगा।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 296/2020 दिनांक 18.04.2020 के तहत निर्दिष्ट अन्य शर्तें/पात्रता मानदंड लागू होंगे।

बैंक डकैती के मामले में डकैतों / लुटेरों का विरोध करने के लिए इनाम की योजना:
बैंक उन मृत कर्मचारियों के परिवार को क्षतिपूर्ति, इनाम, अनुकंपा नियुक्ति और कुछ अन्य लाभ प्रदान कर रहा है जो बैंक डकैती / बैंक पर आतंकवादी हमलों, जिसमें वामपंथी उग्रवाद भी शामिल है, का विरोध करते हुए मारे गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय का परिपत्र संख्या 243/2013 दिनांक 30.05.2013 का संदर्भ लें।

सामूहिक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी (ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी)
ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (जीटीएलआई) का प्रारंभ दिनांक 01.02.2021 से किया गया है। एनपीएस/पीएफ/अपदान(ग्रेच्युटी) अभिलेखों(रिकॉर्ड) के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति को जीटीएलआई पॉलिसी के तहत पात्र राशि प्राप्त होगी । अधिक जानकारी के लिए अंचल कार्यालय के उस मानव संसाधन प्रबंधन(एचआरएम) अनुभाग से संपर्क करें जिसके तहत कर्मचारी मृत्यु के तत्काल पूर्व कार्यरत था।

दुर्घटना के कारण मृत्यु:
बैंक में कर्मचारी कल्याण उपायों के तहत सेवारत कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। दुर्घटना के कारण सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उक्त पॉलिसी की आवश्यकता के अनुसार दावे को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अधिक विवरण/आवश्यक प्रारूपों/आवेदन के लिए, कृपया मानव संसाधन प्रबंधन(एचआरएम) अनुभाग से संपर्क करें, जिसके तहत कर्मचारी मृत्यु के तत्काल पूर्व कार्यरत था।

अन्य लाभ/सूचना
अधिवर्षिता पर स्मृति चिह्न (मेमेंटो):
बैंक, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्मृति चिह्न भेंट करता है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पसंद की उपहार वस्तु को खरीदने के लिए पात्र हैं तथा बैंक निम्नानुसार राशि की प्रतिपूर्ति करेगा:

कथित योजना के संशोधित दिशानिर्देश निम्नवत् हैं:

1. **मात्रा:**

कर्मचारियों का संवर्ग	कुल देय राशि (₹)
कार्यपालक	35,000
अधिकारी	30,000
लिपिक	25,000
अधीनस्थ कर्मचारी	20,000

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय का परिपत्र संख्या 186/2020 दिनांक 30.03.2020 का संदर्भ लें।

अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय स्थानांतरण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति:
अधिकारी, जो केवल अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होते हैं, सामान्य स्थानांतरण के अनुरूप स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते, व्यक्तिगत सामग्री / सामान के परिवहन और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

प्रतिपूर्ति उस स्थान, जहाँ अधिकारी सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था, से वहाँ तक होगी जहाँ वह सेवानिवृत्ति के बाद बसने का प्रस्ताव करता है।

अग्रिम यात्रा भत्ता व्यय की अनुमति नहीं है तथा उपगत(किए गए) व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा संबंधित अंचल कार्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग से की जानी चाहिए।

यात्रा भत्ता व्यय का दावा सेवानिवृत्ति से छः महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

सेवा के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने के बाद दो महीने के लिए क्वार्टर/टेलीफोन का प्रतिधारण(रिटेंशन) : आवास किराए की वसूली और फर्नीचर किराए की वसूली के अधीन, सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत स्थान पर अधिकारियों को क्वार्टर/ आवास, यदि प्रदान किया गया है, को अधिकतम दो महीने की अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति है।

टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारी की सहमति के अधीन, अधिकारियों के क्वार्टर/आवास में टेलीफोन सुविधा, यदि प्रदान की गई है, को अधिकतम दो महीने की अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति है।

उपरोक्त के लिए, सेवानिवृत्त अधिकारी को संबंधित अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग को अग्रिम रूप से एक लिखित अनुरोध देना होगा।

ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवांत लाभ छह महीने के किराए (वाणिज्यिक दर पर परिकलित) को बनाए रखते हुए जारी किया जाएगा, जब तक कि क्वार्टर को खाली कर सौंप नहीं दिया जाता है और टेलीफोन / बिजली बिल आदि, यदि कोई हो, का निपटान नहीं किया जाता है। ऐसे अधिकारी को, प्रधान कार्यालय के परिपत्र 617/2018 दिनांक 27.12.2018 के अनुलग्नक के अनुसार संबंधित अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आगे, इस प्रकार रखी गई राशि, बिना किसी ब्याज के, बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली के अधीन वापस की जाएगी।

उनके अनुरोध पर, मृतक अधिकारी के परिवार के सदस्यों को अधिकारी की मृत्यु की तारीख से अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए फर्नीचर के साथ बैंक के क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अधिकारी को उसकी मृत्यु के समय आवास उपलब्ध कराया गया हो जो उन प्रभारों के वसूली के अधीन है जो बैंक की सेवा में रहते समय उससे वसूल किए जा रहे थे। ऐसे मामलों में, कानूनी वारिसों / मृतक अधिकारी के नामिती को उपदान राशि, भविष्य निधि के प्रति

बैंक का अंशदान (यदि कर्मचारी ने भविष्य निधि का विकल्प लिया है) क्वार्टर को खाली करने और टेलीफोन / बिजली बिलों के निपटान करने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

तथापि, मृतक अधिकारी के परिवार के सदस्य आवासीय टेलीफोन, यदि प्रदान किया गया हो, रखने के हकदार नहीं हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध फर्नीचर का प्रतिधारण(रिटेंशन):
जिन अधिकारियों ने फर्नीचर सुविधा का लाभ उठाया है, वे अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के तहत सेवानिवृत्त होने पर मानदंडों के अनुसार रियायती दरों पर फर्नीचर खरीदने के पात्र हैं।

अधिकारियों को फर्नीचर/फिक्स्चर उपलब्ध कराने की नई योजना 24.06.2013 से लागू हुई है। सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र या किसी अन्य कारणों से सेवा समाप्ति के समय इसे बनाए रखने/खरीदने के संबंध में विवरण/नियमों के लिए प्रधान कार्यालय का परिपत्र 303/2013 दिनांक 26.06.2013 का संदर्भ लें। संशोधनों के लिए प्रधान कार्यालय परिपत्र 17/2020 दिनांक 04.01.2020 का संदर्भ लें।

रियायती ब्याज दर के तहत आवास ऋण को जारी रखना:
बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए या 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, कर्मचारी आवास ऋण (ईएचएल) की समान शर्तों पर आवास ऋण सीमाओं/देयताओं को जारी रखने की अनुमति है।

इस संबंध में, अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 485/2017 दिनांक 07.10.2017 का संदर्भ लें।

कार ऋण के तहत सीमाओं/देयताओं को जारी रखना:
कार ऋण के तहत सीमा/देनदारियों(देयताओं) को संबंधित योजनाओं की ब्याज दर पर यथा अधिकारियों के लिए कार ऋण योजना और कामगार कर्मचारियों के लिए कार ऋण, सेवा समाप्ति की तारीख से 10 वर्ष (120 महीने) की अवधि के लिए कर्मचारी के विकल्प पर जारी रखने की अनुमति है। तथापि, कुल चुकौती अवधि संबंधित योजना में अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर होगी, जिसमें उपरोक्त के अनुसार 10 वर्ष की विस्तारित अवधि भी शामिल है।

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 479/2017 दिनांक 04.10.2017 का संदर्भ लें।

अप्रत्याशित परिस्थितियों में रियायती ब्याज दर पर आवास ऋण जारी रखना:
सेवानिवृत्त कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु की अप्रत्याशित परिस्थितियों में, संयुक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी को ऋण जारी रखने या चुकाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कानूनी उत्तराधिकारी/संयुक्त उधारकर्ता आवास ऋण जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, तो इसकी अनुमति मूल स्वीकृति शर्तों के अनुसार या मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी की 75 वर्ष की अनुमानित आयु तक, जो भी पहले हो, तक दी जा सकती है। मौजूदा शर्तों पर आवास ऋण देयता सहित अन्य सभी योजना दिशानिर्देश, कानूनी उत्तराधिकारी/संयुक्त उधारकर्ता द्वारा भी आवास ऋण जारी रखने पर रियायती ब्याज दर जारी रहेगी।

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 601/2019 दिनांक 30.11.2019 का संदर्भ लें।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को पहचान पत्र:
बैंक केवल सेवानिवृत्ति/वीआरएस/एसवीआरएस पर सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करता है। यह ध्यान दिया जाए कि पहचान पत्र केवल पहचान के उद्देश्य से जारी किया जाता है न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

सेवानिवृत्त कर्मचारी (स्केल V तक) द्वारा निर्धारित प्रारूप में दो स्टैंप साइज के फोटो के साथ आवेदन पत्र को संबंधित अंचल कार्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन(एचआरएम) अनुभाग / स्टॉफ प्रशासन(एसए) अनुभाग, निरीक्षण विभाग/ होसा(एचओएसए) अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी अंतिम रूप से कार्य किया था। वेतनमान VI, VII और VIII में सेवानिवृत्त कार्यपालकों को पेंशन आहरण शाखा या शाखा जहां उनका खाता है, के माध्यम से होसा(एचओएसए) अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना है।

जमाराशियों पर अधिमानी ब्याज दर:
बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा कुछ अन्य श्रेणी के भूतपूर्व कर्मचारियों को जमाराशि पर अधिमानी ब्याज दर दे रहा है।

जमाराशियों पर दिनांक 19.05.2014 से प्रभावी अधिमानी ब्याज दर निम्नानुसार है:
1. भूतपूर्व कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए:

क्रम सं	विवरण	आम जनता को दी जाने वाली ब्याज दर से संशोधित अतिरिक्त ब्याज दर
1	घरेलू सावधि जमा– जमाराशि के आकार के निरपेक्ष	1.50% (एनआरओ के तहत सावधि जमा एवं पूँजीगत अभिलाभ जमा योजना को छोड़कर)
2	केनरा टैक्स सेवर जमा	1.00 %

2. कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए:

क्रम सं	विवरण	आम जनता को दी जाने वाली ब्याज दर से संशोधित अतिरिक्त ब्याज दर
1	घरेलू सावधि जमा –सभी परिपक्वता स्लैब – जमाराशि के आकार के निरपेक्ष	1.00% (एनआरओ के तहत सावधि जमा एवं पूँजीगत अभिलाभ जमा योजना को छोड़कर)
2	केनरा टैक्स सेवर जमा	1.00 %

सेवा प्रभार में रियायतें:

बैंक के भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों, जो जमा पर अधिमानी ब्याज दर के लिए पात्र हैं, को कमीशन, डाक और अन्य प्रभारों के बिना निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी।

क. माँग ड्राफ्ट को जारी करना, रद्द करना और डुप्लिकेट माँग ड्राफ्ट को जारी करना।

ख. सभी बाहरी और स्थानीय लिखतों का संग्रहण, जमा रसीदें, जमा खातों का अंतरण, बशर्ते कि विचाराधीन लिखत उनके पक्ष में तैयार किए गए हों (उनके पक्ष में पृष्ठांकित नहीं) –

ग. डुप्लिकेट पासबुक, पास–शीट तथा जमा रसीद जारी करना।

घ. उनके पक्ष में आहरित (उनके पक्ष में पृष्ठांकित नहीं) विदेशी मुद्रा लिखतों का संग्रहण। इसमें भारतीय रुपये में अभिव्यक्त विदेशी आवक प्रेषण भी शामिल है।

ङ. उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में निम्नलिखित शुल्क लागू नहीं होंगे।।

i. अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ओवर ड्राफ्ट खातों के लिए खाता बही पन्ना शुल्क।

ii. स्थायी निर्देशों के पालन के लिए प्रभार।

iii. ऋण के लिए गिरवी रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में सुरक्षित अभिरक्षा प्रभार।

iv. उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रसंस्करण शुल्क।

v. अनुमोदित प्रतिभूतियों के सापेक्ष में स्वीकृत ओवरड्राफ्ट (व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए) के लिए प्रसंस्करण शुल्क (भले ही खाते उनके करीबी रिश्तेदारों के साथ उनके संयुक्त नाम में हों)।

च. भूतपूर्व कर्मचारियों को, एटीएम/डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क, आरडी खाता खोलने के एक वर्ष के भीतर पूर्व–बंदकरण, सीबीएस प्रभार/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग प्रभारों में छूट दी जाती है – नि: शुल्क (एक वर्ष के भीतर आर डी खाते की पूर्व–बंदी) और साथ ही ए टी एम / डेबिट् कार्ड, आर टी जी एस / एन ई एफ टी के संबंध में भी।

छ. निम्नलिखित सेवा प्रभारों में छूट दी गई है:

i. उनके बचत बैंक (एसबी) खातों में औसत मासिक शेष राशि का रखरखाव

ii. ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट/संदेश के लिए प्रभार

iii. वरिष्ठ नागरिक भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए, निष्क्रिय खातों के लिए त्रैमासिक सेवा शुल्क

iv. पते की पुष्टि / प्रनुप्रमाणन

v. मोबाइल नंबर/ई–मेल/पते के परिवर्तन के लिए अनुरोध

vi. परिचालन निर्देशों को संशोधित करने के लिए अनुरोध

vii. कूरियर/डाक द्वारा प्रेषित कोई भी प्रदेय, नकारात्मक प्रतिक्रिया (ऐसी कोई परेषिती नहीं है/ परेषिती का अलग पते पर स्थानांतरण हुआ) के कारण शाखाओं को वापस लौटाया जाना। उदाहरण के लिए: चेक बुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक नोटिस, शाखा को लौटाया जाना।

viii. उन खाताधारकों के लिए निकासी पर्ची जारी करना जिनके पास चेक बुक है।

चिकित्सा जांच :

बैंक कर्मचारी कल्याण उपाय योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है।

पात्रता:

1. कर्मचारी जो वित्त वर्ष के प्रारंभ से पहले अधिवर्षिता/ एसवीआरएस 2001 / वीआरएस पर सेवानिवृत्त हुए हैं, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।

निम्नलिखित पात्र नहीं हैं:–

1. कर्मचारी जो एसवीआरएस 2001 / वीआरएस के तहत बैंक की सेवाओं से निवृत्त हो गए हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष नहीं हुई है।

2. ऐसे कर्मचारी जो सेवामुक्त/बर्खास्तगी/सेवा से हटाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति आदि दंड के तहत बैंक की सेवाओं से बाहर हो गए हैं।

3. कर्मचारी जिन्होंने बैंक की सेवा से त्यागपत्र दिया है।

4. संक्षेप में उपरोक्त "पात्रता" खंड के तहत खंड संख्या 1 में वर्णित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी पात्र नहीं हैं।

बैंक, घोषणा के आधार पर ऐसे कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनकी मृत्यु वित्त वर्ष की शुरुआत के पूर्व हो चुकी है, के पति/पत्नी जो हमारे बैंक से पारिवारिक पेंशन आहरित करते हैं, को अधिकतम ₹1000/– के अधीन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर भी विचार कर रहा है।

चिकित्सा व्यय या मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान के लिए किए गए खर्च का दावा करने का विकल्प बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, क्योकिं यह योजना कर्मचारी कल्याण उपायों के अंतर्गत एक वित्त वर्ष की अवधि के लिए होने के कारण, पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के ब्यौरे और परिवर्तन/संशोधन, यदि कोई हो, को जानने के लिए बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे कर्मचारी कल्याण उपायों से संबंधित नवीनतम ज्ञापन(मेमो) का संदर्भ ले सकते हैं।

औषधालयः

वर्तमान में अंचल कार्यालय, प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालय के उपभवन(अनेक्स) में औषधालय की सुविधा उपलब्ध है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित एचआरएम अनुभागों से संपर्क किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को वसूली एजेंट के रूप में नियुक्त करना:

क. बैंक ने केनरा बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हमारे बैंक के छोटे मूल्य के एनपीए खातों, संदिग्ध और हानि संपत्तियों की वसूली के लिए वसूली एजेंटों के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रेरक पद्धति के माध्यम से निम्नलिखित के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं:

i. वसूली एजेंट को आईआईबीएफ या उनके संबद्ध संस्थानों या हमारे अध्ययन व विकास केंद्र, बेंगलूरु द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना है:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
केनरा बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आईआईबीएफ द्वारा आयोजित 100 घंटे के प्रशिक्षण की शर्त से छूट दी गई है।	वसूली एजेंटों को हमारे अध्ययन व विकास केंद्र, बेंगलूरु सहित आईआईबीएफ या उनके संबद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित 100 घंटे के प्रशिक्षण लेना होगा और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

वसूली एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आकृष्ट करने के लिए, हमारे अध्ययन व विकास केन्द्र, बेंगलूरु/मणिपाल/क्षेत्रीय अध्ययन व विकास केंद्रों को हानि–लाभ रहित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा। इस संबंध में, सेवानिवृत कर्मचारियों को वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंचल कार्यालय, अध्ययन व विकास केन्द्र, बेंगलूरु/मणिपाल/क्षेत्रीय अध्ययन व विकास केंद्रों के साथ संपर्क कर सकते हैं।

ii. पुलिस सत्यापन सहित वसूली एजेंट का पूर्ववृत्त बैंक द्वारा सत्यापित किया जाना है;

iii. शाखा को उनके द्वारा अनुशंसित वसूली एजेंटों के बारे में उचित सावधानी बरतनी होगी;

iv. संबंधित अंचल कार्यालय का वसूली एवं विधि अनुभाग संबंधित मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग, अंचल कार्यालय से अनात्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी ने आखिरी बार काम किया है और यदि पैनल में शामिल होने वाला वसूली एजेंट केनरा बैंक का सेवानिवृत्त कार्यपालक है तो संबंधित वसूली एवं विधि अनुभाग, अंचल कार्यालय को पीएम अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा;

v. वसूली एजेंट को बैंक की शर्तों के समझौते(करार) को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी;

vi. वसूली एजेंट को ₹50,000/– के बराबर राशि की बैंक गारंटी/अनुमोदित जमानत(प्रतिभूति) को जमा करना होगा।

ख. बैंक के वसूली एजेंटों के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सूचीबद्ध करना केवल बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

ग. अधिक जानकारी के लिए, केननेट में उपलब्ध प्रधान कार्यालय का परिपत्र संख्या 284/2021 दिनांक 03.05.2021, नवीनतम ऋण वसूली नीति का अवलोकन करें।

सेवानिवृत्ति के बाद रोज़गार लेने की अनुमतिः

केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियमन 50 और केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2001 के विनियमन 4 के अनुसार, एक कर्मचारी जो बैंक में सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकारी का पद धारण कर

रहा था यदि वह सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोज़गार लेने के इच्छुक है, तो उसे अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए, उपर्युक्त विनियमों का संदर्भ लिया जा सकता है। ये केननेट के साथ–साथ बैंक की वेबसाइट यानी www.canarabank.com पर "विनियमन" शीर्षक के तहत उपलब्ध हैं।

संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रारूप के लिए hoir@canarabank.com पर या अंचल कार्यालयों के संबंधित एचआरएम अनुभागों से अनुरोध कर सकता है।

कानूनी सहायता:
यह योजना, बैंक के सभी सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों, वर्तमान/पूर्व निदेशकों सहित प्रतिनियुक्त कर्मचारी या इस्तीफा देने वाले भी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी एजेंसियों सहित तीसरे पक्ष या एजेंसियों/संगठनों द्वारा जैसे कि सीबीआई/सीवीसी/पुलिस आदि द्वारा उनकी सेवा अवधि/कार्यकाल के दौरान बैंक के कार्यों के निष्कपट निष्पादन के लिए उठे मामलों के खिलाफ अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई से अपना बचाव करना आवश्यक है, के लिए उपलब्ध है। इस योजना में यौन उत्पीड़न, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम आदि के तहत यौन उत्पीडन, अत्याचार आदि के तहत शुरू की गई लघु कानूनी कार्रवाई / शिकायत भी शामिल हैं।

इसके अलावा, सभी व्यावसायिक समूहों की सभी शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत बैंक के सभी कर्मचारी/अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति), प्रतिनियुक्ति पर रहे कर्मचारी/अधिकारी और त्यागपत्र दिए कर्मचारी/अधिकारी, जो वसूली में लगे हुए थे या आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, को प्रावरित किया जाएगा। चूककर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए सभी मामले या बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ एनपीए वसूली के संबंध में दर्ज मामले को प्रावरित किया जाएगा।

योजना के अनुसार, बैंक सभी कानूनी खर्चों, जैसे कि अदालत शुल्क, अधिवक्ता शुल्क (वरिष्ठ अधिवक्ता, यदि नियुक्त हुए हैं की फीस सहित), विविध व्यय, पात्र श्रेणी वर्ग के अनुसार परिवहन, ठहरने और ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों/निदेशकों के, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद भी, द्वारा किए जाने वाले अन्य आकस्मिक खर्च, का भुगतान करेगा।

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 268/2020 दिनांक 07.04.2020 का संदर्भ लें।

बैंक की ओर से न्यायालय जाँच आदि में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/विराम भत्ता :
बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता/विराम भत्ता के संबंध में दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

परिस्थितियां		
पुलिस/सीबीआई द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध आधिकारिक कृत्यों के लिए दर्ज मामले	आरोपी के रूप में	नहीं
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	हाँ
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं
कर्मचारी द्वारा बैंक के विरुद्ध दर्ज मामले	याचिकाकर्ता के रूप में	नहीं
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	हाँ
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं
आधिकारिक कृत्यों से संबंधित बाहरी व्यक्ति/ग्राहकों आदि द्वारा दर्ज मामले।	आरोपी के रूप में*	नहीं*
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	हाँ
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं

अर्ह मामलों में पात्रता वही होगी जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय जिस श्रेणी में कार्य कर रहा था, उस पर लागू होती है।

*** केवल तभी जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी सहायता की अनुमति दी गई है।**

सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए आईबीए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना (आईबीए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम)

सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए आईबीए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना (आईबीए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पालिसी) आरंभ की गई जो दिनांक 01.11.2015 से प्रभावी है। चूंकि, मेसर्स नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस सुविधा के लिए प्रमुख बीमाकर्ता है और वही इस पॉलिसी का प्रबंधन करेगी और दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी होगी। बीमा कंपनी द्वारा बताया गया प्रीमियम (2020–21 से, मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अग्रणी बीमाकर्ता है) पॉलिसी के नवीकरण के लिए पूर्व कर्मचारी द्वारा देय होगा। पॉलिसी प्रति वर्ष 1 नवंबर को नवीकृत होने के लिए बकाया होगी। अतः, सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के माह में अपनी इच्छा बतानी होगी और पॉलिसी को नवीकृत कराने के लिए अपने खाते में पर्याप्त शेष बनाए रखना होगा। वे अर्ह सेवानिवृत्त कर्मचारी/जीवनसाथी जो अपनी इच्छा, निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजकर जाहिर करते हैं और निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं, उन्हें इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावरित किया जाएगा।

झंझट रहित निगरानी के लिए और दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनी द्वारा इस पॉलिसी को एक तृतीय पक्ष प्रबंधक के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा और इस वर्ष के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए मेसर्स एमडी इंडिया टीपीए लिमिटेड को तृतीय पक्ष प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है और वे सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी के दावों का प्रसंस्करण करेंगे।

जिन सेवानिवृत्तों ने अंतिम तिथि को या उससे पहले विकल्प लिया है और प्रीमीयम का भुगतान किया है, इनके लिए पॉलिसी को नवीकृत किया गया है। वह उस वर्ष के 1 नवंबर से अगले वर्ष के 31 अक्तूबर तक वैध रहेगी।

योजना के बेहतर संचालन और उपयोगिता के लिए निम्नलिखित विवरण पर जोर दिया गया है :

1. सुपर टॉप अप पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाना तभी आरंभ होगा जब मुख्य पॉलिसी की बीमा की रकम समाप्त हो गई होगी।

2. पॉलिसी के अनुसार सूचीबद्ध बीमारियों के मामले में किए गए घरेलू उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. झंझट रहित निपटान के लिए, यह बेहतर है कि नेटवर्क अस्पतालों में से किसी एक में नकद रहित सुविधा का विकल्प चुना जाए। अन्यथा भी, सभी दावों के लिए टीपीए यथा मेसर्स एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को दावे के बारे में सूचित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित समय – सीमा के भीतर उपचार की योजना, पॉलिसी संख्या आदि सहित दावों से संबंधित समस्त सूचना एक पत्र, ई–मेल, फैक्स में इस प्रकार सूचित करें:

नकदी रहित सुविधा के मामले में दावे की सूचना	टीपीए को अवश्य सूचित करें
योजनाबद्ध रूप से अस्पताल में भर्ती किए जाने पर	नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन अस्पताल में बीमाकृत व्यक्ति को भर्ती करने से कम से कम 72 घंटे पूर्व
आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर	नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन अस्पताल में बीमाकृत व्यक्ति को भर्ती करने के कम से कम 24 घंटे के भीतर
प्रतिपूर्ति सुविधा के मामले में दावे की सूचना	टीपीए को अवश्य सूचित करें
योजनाबद्ध रूप से अस्पताल में भर्ती किए जाने पर	नेटवर्क प्रदाता/गैर–नेटवर्क पीपीएन अस्पताल में बीमाकृत व्यक्ति को भर्ती करने के कम से कम 48 घंटे के भीतर
आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर	नेटवर्क प्रदाता/गैर–नेटवर्क/पीपीएन अस्पताल में बीमाकृत व्यक्ति को भर्ती करने के कम से कम 48 घंटे के भीतर

1. **दावे की प्रक्रिया:**
घरेलू :

इस उद्देश्य के लिए उपचार करने वाले चिकित्सक से प्रमाणपत्र आवश्यक है। घरेलू (डॉमिसिलियरी) उपचार के संबंध में दवाओं, जाँच, परामर्श आदि की कीमत की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी:

मूल पर्चा:

क. आईआरडीए द्वारा निर्धारित समुचित रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षर युक्त दावा फॉर्म (अनुलग्नक में उपलब्ध);

ख. पर्चा उस अवधि के लिए वैध होगा यदि विशेषज्ञ या उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा विशेष रूप से कोई उल्लेख है।

ग. यदि कोई अवधि नहीं बताई गई है तो प्रतिपूर्ति के लिए पर्चा उस अवधि के लिए वैध होगा जो 90 दिनों से अधिक न हो।

अवधि जिसके दौरान घरेलू(डॉमिसिलियरी) उपचार का दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
घरेलू(डॉमिसिलियरी) उपचार के लिए बिल एक माह विशेष के लिए आने वाले माह की 10 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

योजनाबद्ध रूप से अस्पताल में भर्ती किया जाना:
नकदी रहित दावों के लिए प्रक्रिया:

बीमाकृत व्यक्ति को उपचार के लिए नकदी रहित सुविधा केवल नेटवर्क अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। उपचार एक नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन में ही करवाया जा सकता है जो टीपीए द्वारा पूर्व प्राधिकार के अधीन है।

5. **गैर–नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्ति की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है:**
अस्पताल की पंजीकरण स्थिति और निम्नलिखित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों की अनुपालन स्थिति का पता लगाएं। यह भी पता करें कि अस्पताल छोड़ते समय पंजीकरण की एक प्रति देने के लिए तैयार है कि नहीं।

पॉलिसी के संदर्भ में, अस्पताल/नर्सिंग होम की परिभाषा इस प्रकार है:
अस्पताल/नर्सिंग होम का अर्थ है कोई संस्था जिसकी स्थापना रोगी की देखभाल या बीमारी/चोट के संपूर्ण दिवस (डे केयर) के उपचार के लिए की गई है और चिकित्सकीय स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत या कथित अधिनियम की

धारा 56 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिनियमन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण में एक अस्पताल के रूप में पंजीकृत है और निम्नलिखित अनुसार सभी न्यूनतम मानकों का अनुपालन करता है:

क. 10,00,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में कम से कम 10 रोगी भर्ती करने के लिए पलंग हो, और अन्य स्थानों में कम से कम 15 रोगी भर्ती करने के लिए पलंग हो;

ख. चौबीसों घंटे अपने रोज़गार के तहत योग्य नर्सिंग स्टाफ हो।

ग. चौबीसों घंटे योग्य चिकित्सक (क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टीशनर) उपलब्ध हो।

घ. उसका पूर्ण सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर हो जहाँ शस्त्र(सर्जिकल) क्रियाएं की जाती हों।

ङ. रोगियों का दैनिक अभिलेख रखते हों और बीमा कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यकतानुरूप यह उपलब्ध कराता हो।

6. **दावा दस्तावेज़ों का प्रस्तुतीकरण :**
नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए और दावे की प्रतिपूर्ति के लिए बीमित व्यक्ति टीपीए को आवश्यक दस्तावेज़ों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

दस्तावेज़ प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा :

दावे का प्रकार	कंपनी/टीपीए को दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के लिए समय सीमा
जहाँ नकदी रहित सुविधा प्राधिकृत है।	अस्पताल छोड़ने के तुरंत बाद
भर्ती करने और प्रति भर्ती (30 दिनों तक सीमित) व्ययों की प्रतिपूर्ति	अस्पताल छोड़ने के 30(तीस) दिनों के भीतर
अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद के व्ययों की प्रतिपूर्ति (90 दिनों तक सीमित)	अस्पताल में भर्ती होकर उपचार पूर्ण होने के पश्चात्, 30 (तीस) दिनों के भीतर

सेवानिवृत्त कर्मचारी, एमडी इंडिया टीपीए के निम्नलिखित कार्यालयों में दस्तावेज़ों को जमा करा सकते हैं या वैकल्पिक रूप से , यदि यह सुविधाजनक हो तो, अनुलग्नक में उल्लिखित टीपीए के किसी अन्य कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी सुपुर्द कर सकते हैं।

क. **बेंगलूरू का पता:**
द्वार संख्या 1540, प्रथम तल, चतुर्थ ''टी'' ब्लॉक ,
शारदा चैंबर्स, 39वां ई क्रॉस, 23वां मेन,
इंडियन बैंक के ऊपर, जयनगर, बेंगलूरु – 560041

ख. पुणे प्रधान कार्यालय का पताः

एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड,
क्रं. सं. 46/1, ई – स्पेस, ए–2 बिल्डिंग, तीसरा तल,
पुणे नगर रोड, वडगाँवशेरी, पुणे– 411014, महाराष्ट्र

7. **प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किए जाने के लिए जाँच सूचीः**

अस्पताल में भर्ती होने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

आईआरडीए द्वारा निर्धारित समुचित रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षर युक्त दावा फॉर्म (अनुलग्नक में उपलब्ध);

फोटो पहचान पत्र और आयु का साक्ष्य प्रमाणपत्र;

हेल्थ कार्ड, फोटो पहचान पत्र, केवाईसी दस्तावेज़;

निदान(डयाग्निसिस)/की गई सर्जिकल क्रिया की प्रकृति के संबंध में उपचार करने वाले चिकित्सक/सर्जिकल चिकित्सक का प्रमाणपत्र, जो निदान(डयाग्निसिस) की तिथि, जाँच की रिपोर्ट आदि के साथ हो और जिसके साथ उपचार करने वाले चिकित्सक का पर्चा हो।

मूल डिस्चार्ज कार्ड/देखभाल(डे केयर) सारांश/स्थानांतरण सारांश;

पूर्वांकित पूर्ण अस्पताल बिल जिसके साथ मूल जमा और अंतिम भुगतान रसीद होनी चाहिए।

पूर्ण विवरण सहित अस्पताल के बिल।

भुगतान रसीद के साथ मूल बीजक और सर्जरी क्रियाओं के दौरान प्रयुक्त सभी इम्प्लांट के लिए इम्प्लांट स्टीकर यथा मोतियाबिंद(कैटरेक्ट) सर्जरी क्रिया में लेंस स्टीकर और बीजक, एंजियोप्लास्टी सर्जरी क्रिया में स्टेंट बीजक और स्टीकर

वर्तमान रोग के लिए पूर्व स्थिति(इतिहास) और उपचार विवरण दर्शाने वाले सभी पिछले परामर्श दस्तावेज़;

चिकित्सक के पर्चे के साथ सभी मूल निदान(डयाग्निसिस) रिपोर्ट (इमेजिंग और प्रयोगशाला रिपोर्ट सहित) और निदान(डयाग्निसिस) केंद्र से रसीद के साथ बीजक/बिल;

चिकित्सक(मेडिकल प्रैक्टीशनर) के पर्चे के साथ सभी मूल दवा/फार्मेसी बिल;

केवल दुर्घटना के मामलों में एमएलसी/एफ़आईआर की प्रति;

मृत्यु सारांश की प्रति और मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति (केवल मृत्यु दावों में);

केवल दुर्घटना के मामलों में सर्जरी क्रिया से पूर्व और पश्चात् इमेजिंग रिपोर्ट;

परिचार पत्र (नर्सिंग शीट) के साथ आंतरिक मामला दस्तावेज़ (इंडोर केस पेपर्स) की प्रति जिसमें बीमित व्यक्ति का चिकित्सकीय इतिहास हो, उपचार विवरण हो और बीमित व्यक्ति की प्रगति हो।

** दस्तावेज़ों की उक्त सूची सांकेतिक है। बीमा कंपनी द्वारा निर्दिष्टानुसार किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता होने पर, दावा दस्तावेज़ प्राप्त होने पर टीपीए की दस्तावेज़ टीम सेवानिवृत्त कर्मचारी से संपर्क करेगी।

अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट में सेवानिवृत्त(भूतपूर्व कर्मचारी) पृष्ठ पर अपलोड किए गए पॉलिसी दस्तावेज़ में उपलब्ध हैं।

8. तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) यथा एमडी इंडिया हैल्थ इंश्योरेंश टीपीए प्राइवेट लिमिटेड (MD India Health Insurance TPA Pvt Ltd.) का विवरण निम्नानुसार है:

टीपीए का नाम	**एमडी इंडिया हैल्थ इंश्योरेंश टीपीए प्राइवेट लिमिटेड**
समर्पित ग्राहक सेवा टोल फ्री नंबर	1800-266-5690
ग्राहक सेवा ई–मेल आईडी	Canarabank@mdindia.com
नकदी रहित के लिए टोल फ्री	1800-209-7800
नकदी रहित के लिए ई–मेल	authorisation@mdindia.com
टोल फ्री के लिए प्रतिपूर्ति	1800-209-7777
एमडी इंडिया वेबसाइट–	https://mdindiaonline.com
एसएमएस के ज़रिए दावे की स्थिति जानने के लिए – दावे पर वर्तमान और आगे समयानुसार अद्यतन जानकारी के लिए	SMS to +91 86918 63863 : Status < Claim Number > उदाहरण के लिए : STATUS MDI5781804

एमडी इंडिया (MD India) तक पहुँचे :

दावे की सूचना	https://mdindiaonline.com/ClaimIntimationForm.aspx or customercare@mdindia.com
नेटवर्क अस्पताल	https://mdindiaonline.com/ProviderList.aspx
चैट बॉट	http://mdichatbot.mdindia.com/mdichat/mdichat.aspx
ई–कार्ड/डेस्कटॉप एप्लीकेशन	https://canara.mdindia.com/ पर लॉग–इन करके कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी की लॉग इन आईडी निम्नानुसार है: यूजर आईडी : कर्मचारी आईडी (Employee ID) पासवर्ड : ddmmyyyy (जन्म तिथि)

दावा फॉर्म, जाँच सूची, नेटवर्क अस्पतालों और मोबाईल ऐप के लिए त्वरित लिंक:

आईआरडीएआई दावा फॉर्म:	http://www.mdindiaonline.com/documents/claimform.pdf
जाँच सूची :	http://www.mdindiaonline.com/documents/claimdocumentschecklist.pdf
नेटवर्क अस्पताल :	https://www.mdindiaonline.com/ProviderSearch.aspx
हॉक मोबाईल ऐप :	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdid.hawk
केनरा बैंक मोबाईल एप्लीकेशन	MDIndia Canara - Apps on Google Play

धोखाधड़ी वाले दावे :
यदि किसी भी संदर्भ में बीमित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई दावा कपटपूर्ण है या समर्थन में कहा गया कोई कथन या की गई कोई घोषणा असत्य है या बीमित व्यक्ति द्वारा कोई धोखाधड़ी का तरीका या युक्ति अपनाई गई है या इस पॉलिसी के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी ओर से कार्य करता है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ और भुगतान किया गया प्रीमीयम वापस ले लिया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत किए गए दावों के लिए पूर्व में किसी राशि का भुगतान किए जाने पर भी, यदि वह दावा बाद में धोखाधड़ी युक्त पाया जाता है तो प्राप्तकर्ता/पॉलिसीधारक द्वारा उसका पुनर्भुगतान किया जाएगा जिसने वह दावा प्रस्तुत किया था, जो कि संयुक्त रूप से और अलग–अलग रूप से कंपनी को पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस उपबंध के लिए, अभिव्यक्ति 'धोखाधड़ी' का अर्थ है बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा या अस्पताल/चिकित्सक/ कंपनी को धोखा देने या एक बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने की नीयत से बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी पक्ष द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य होंगे:

क. एक तथ्य के रूप में कोई सलाह जो सत्य न हो और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य न मानता हो।

ख. बीमित व्यक्ति को जिस तथ्य पर विश्वास हो या उसके बारे में जानकारी हो, उसे सक्रियता से छुपाना और

ग. धोखाधड़ी कहा जा सकने वाला कोई अन्य कार्य; और

घ. कोई ऐसा कार्य या चूक जिसे विधि विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करती हो। कंपनी दावे का खंडन नहीं करेगी और/या धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के लाभों को वापस नहीं लेगी यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह साबित कर सकता है कि गलत कथन उसकी जानकारी के अनुसार सत्य था और गलत हुए कथन को या तात्विक तथ्य को दबाने की मंशा नहीं थी या कंपनी की जानकारी में था।

9. **क्षेत्रीय सीमा:**
इस पॉलिसी के लिए सभी चिकित्सकीय उपचार केवल भारत में किए जाएंगे।

10. **पॉलिसी विवरण :**
उपर्युक्त पॉलिसी विवरण केवल दृष्टांतिक है, अंतिम नहीं है। मेसर्स नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई आईबीए मेडिकल इंश्यूरेंस पॉलिसी को बैंक की वेबसाइट पृष्ठ www.canarabank.com>Announcements>Ex-Employees' पर उपलब्ध कराया गया है और सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी विवाद/स्पष्टीकरण के मामले में टीपीए/बीमा कंपनी के साथ मामला सीधे उठा सकते हैं।

पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी को सलाह दी जाती है कि बैंक की वेबसाइट पर अपलब्ध कराई गई बामी पॉलिसी का विवरण पढें।

अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या 37/2022 दिनांक 24.01.2022 का संदर्भ लें। बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी सूचनाएं बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर Announcements >> Ex-employees पथ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

हॉलिडे होम :

हॉलिडे होम सुविधा केवल अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/एसवीआरएस पर सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रित व्यक्ति सुविधा का उपयोग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके साथ अवश्य होना होगा।

पेंशन आहरण वाली शाखा या उस शाखा जिसमें उनका खाता है, के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में एक माह अग्रिम में हॉलिडे होम बुक कर सकते हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों पर बैंक के हॉलिडे होम की सुविधा है:

(हमारे बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com के अंतर्गत पथ Announcements >> Ex-employees में संपर्क, पता और अन्य विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

क्र. सं.	हॉलिडे होम का नाम
1	आगरा
2	बेंगलूरु
3	भुवनेश्वर
4	चेन्नई
5	दार्जीलिंग
6	दिल्ली
7	गोवा
8	गुरुवायूर
9	हरिद्वार
10	हैदराबाद
11	जयपुर
12	कन्याकुमारी
13	कटरा
14	कोडैकनाल
15	कोलकाता
16	मडिकेरी

क्र. सं.	हॉलिडे होम का नाम
17	मदुरै
18	महाबलेश्वर
19	मनाली
20	मंगलूरु
21	माऊंट आबू
22	मुम्बई
23	मसूरी
24	मैसूरु
25	नैनीताल
26	ऊटी
27	पलनी
28	पुरी
29	रामेश्वरम
30	शिमला
31	शिरडी
32	श्रीरंगम

Sl No	Name of Holiday Home
33	तिरुपती
34	त्रिवेंद्रम
35	उदयपुर
36	वाराणसी
37	विशाखापटनम
38	कोलकाता II

Sl No	Name of Holiday Home
39	मुम्बई II
40	मुन्नार
41	पोर्टब्लेयर
42	शिरडी II
43	तिरुपती II

सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग के संबंध में पॉलिसी

बैंक की नीतियों, इसके कर्मचारियों, इसके ग्राहकों या किसी भी स्वरूप के दृष्टिकोण जो बैंक की प्रतिष्ठा/भलाई पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हों को सोशल मीडिया/पब्लिक डोमेन पर संप्रेषित करते समय कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को अधिक संवेदनशील बनाने के दृष्टिकोण से बैंक ने ''कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/इंटरनेट ब्लॉग आदि का प्रयोग –''क्या करें / क्या न करें'' की नीति आरंभ की है। मामले के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र 389/2021 दिनांक 08.06.2021 का संदर्भ लें।

केनरा पेंशन :

प्रधान कार्यालय परिपत्र 787/2020 दिनांक 15.10.2020 और 851/2020 दिनांक 05.11.2020

मानदंड	दिशानिर्देश
उद्देश्य	**घटक 1:** पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के चिकित्सा व्यय और अन्य वास्तविक व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और/या **घटक–2:** हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए आईबीए सामूहिक मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी (आईबीए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी) के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, जिन्होंने इस योजना को चुना है और इसके अंतर्गत आते(प्रावरित) हैं।
पात्रता	निम्नलिखित प्रकार के पेंशनभोगी जो हमारी शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं: सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगी (अर्थात्, केंद्रीय, सिविल, रेलवे, रक्षा, सशस्त्र बल, रक्षा असैनिक कर्मचारी और स्वतंत्रता सेनानी आदि) सभी राज्य सरकार के पेंशनभोगी। सभी सरकारी विभाग के उपक्रमों के पेंशनभोगी। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशनभोगी/कॉर्पोरेट पेंशनभोगी। उपरोक्त सभी श्रेणियों के पारिवारिक पेंशनभोगी। बैंक के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी।

<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>दिशानिर्देश</th></tr>
<tr><td>मात्रा, एनटीएच और चुकौती अवधि</td><td>
क) हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में:
20 महीने की पेंशन राशि या ₹10,00,000/–, इनमें से जो भी कम हो, प्रस्तावित ईएमआई में कटौती के बाद सकल पेंशन के 25% के एनटीएच के रखरखाव के अधीन।
चुकौती अवधि:
i) यदि पेंशनभोगी 65 वर्ष से कम आयु का है तो 72 ईएमआई में चुकाना होगा।
ii) यदि पेंशनभोगी की आयु 65 वर्ष से अधिक है तो 60 ईएमआई में चुकाना होगा।
ख) आम जनता/रक्षा/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में नीचे दी गई तालिका के अनुसार:
आम जनता/रक्षा/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में नीचे दी गई तालिका के अनुसार: सामान्य पेंशनभोगी:
<table>
<tr><th colspan="4">अधिकतम राशि 18 महीने की पेंशन</th></tr>
<tr><th>ऋण स्वीकृति के समय आयु</th><th>अधिकतम ऋण की राशि</th><th>चुकौती अवधि</th><th>पूर्ण भुगतान के समय की आय</th></tr>
<tr><td>70 वर्ष से कम</td><td>₹10.00 लाख</td><td>60 महीने</td><td>75 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>70 - 75 वर्ष</td><td>₹5.00 लाख</td><td>36 महीने</td><td>78 वर्ष तक</td></tr>
<tr><th colspan="4">रक्षा पेंशनभोगी: अधिकतम राशि 24 महीने की पेंशन</th></tr>
<tr><td>50 वर्ष से कम</td><td>₹10 लाख</td><td>84 महीने</td><td>57 वर्ष</td></tr>
<tr><td>50 - 60 वर्ष</td><td>₹8 लाख</td><td>60 महीने</td><td>65 वर्ष</td></tr>
<tr><td>60 - 70 वर्ष</td><td>₹6 लाख</td><td>48 महीने</td><td>74 वर्ष</td></tr>
<tr><td>70 - 75 वर्ष</td><td>₹5 लाख</td><td>24 महीने</td><td>77 वर्ष</td></tr>
<tr><th colspan="4">पारिवारिक पेंशनभोगी (सामान्य/रक्षा): अधिकतम राशि 18 महीने की पेंशन</th></tr>
<tr><td>70 वर्ष से कम</td><td>₹5.00 लाख</td><td>60 महीने</td><td>75 वर्ष</td></tr>
<tr><td>70 - 75 वर्ष</td><td>₹3.00 लाख</td><td>36 महीने</td><td>78 वर्ष</td></tr>
</table>
पूर्ण चुकौती के समय चुकौती अवधि और आयु का पालन उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों के लिए किया जाना है। नेट टेक होम (एनटीएच) : मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई की कटौती के बाद सकल पेंशन का न्यूनतम 40% एनटीएच ।
</td></tr>
<tr><td>मंजूरीकर्ता प्राधिकारी</td><td>
शाखा प्रमुख मंजूरी प्राधिकारी है।
योजना के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए शाखा प्रमुख के अलावा, वीएलबी एवं ईएलबी शाखा में क्रेडिट प्रबंधक एवं वरिष्ठ प्रबंधक भी मंजूरी दे सकते हैं। योजना के तहत समय–समय पर यथा सूचित अनुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन का पालन किया जाना है।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>दिशानिर्देश</th></tr>
<tr><td>प्रतिभूति</td><td>पेंशनभोगियों को ऋण के मामले में:
जीवनसाथी की सह–बाध्यता (जहां कहीं पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है) या ऋण राशि के अनुरूप किसी अन्य व्यक्ति/पेंशनभोगी, यदि आवश्यक हो, तो मंज़ूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
पारिवारिक पेंशनभोगी को ऋण के मामले में:
ऋण राशि के अनुरूप तृतीय पक्ष गारंटी/सह–दायित्व को निरपवाद रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>ब्याज की दर</td><td><table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मानदंड</th><th>ब्याज की दर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सामान्य जनता</td><td>*आरएलएलआर+3.30%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>हमारे बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी :
i) हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पारिवारिक पेंशनभोगियों को ऋण।
ii) आईबीए सामूहिक मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी (आईबीए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी) के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान हेतु ऋण लेने के लिए ।</td><td>*आरएलएलआर+2.10%</td></tr>
</table>*वर्तमान में आरएलएलआर 6.90% है (समय–समय पर परिवर्तनाधीन है)</td></tr>
<tr><td>रेटिंग शीट</td><td>रियायत दी गई।</td></tr>
<tr><td>प्रसंस्करण प्रभार</td><td>संबंधित ऋण योजना के तहत प्रसंस्करण प्रभार में रियायत दी गई है।</td></tr>
<tr><td>दस्तावेज़ीकरण/ निरीक्षण प्रभार</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>दस्तावेज़ीकरण</td><td>एन एफ 965 – ऋण आवेदन (खुदरा ऋण)
एन एफ 991 –डीपीएन का सुपुर्दगी पत्र लें।
एन एफ –967 –नियम और शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र
परिशिष्ट –19 के अनुसार अप्रतिसंहरणीय(अविकल्पी) अध्यादेश(मैनडेट)
ऋण किस्तों की त्वरित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उधारकर्ता के सिस्टम में पेंशनर और एसबी मास्टर के पास अनुरक्षित पेंशन रजिस्टर/पीपीओ में दिए गए ऋण का विवरण बिना चूक नोट किया जाना चाहिए। पेंशन ऋण की मंजूरी संबंधी जानकारी पेंशन भुगतान प्राधिकारी को दी जानी है।
बिल/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।</td></tr>
<tr><td>वर्गीकरण</td><td>गैर– प्राथमिकता</td></tr>
<tr><td>लेखांकन</td><td>उत्पाद कूट (कोड) : 607 – केनरा पेंशन
योजना कूट (कोड) : 70500
सेक्टर कूट (कोड) : 25100 – अन्य गैर–प्राथमिकता ऋण</td></tr>
</table>

मानदंड	दिशानिर्देश
रिपोर्टिंग / निगरानी	संवितरण निष्पादन और बकाया की रिपोर्ट पी एस आर–71 (मासिक) में की जानी चाहिए। बकाया खातों की रिपोर्ट विशेष निगरानी विवरण में भी की जानी चाहिए।
अन्य	शाखाएं/कार्यालय सुनिश्चित करें कि मासिक पेंशन बचत खाते में जमा हो रही है। पेंशनधारकों का बैंक खाता बिना चूक के नियमित है। पीपीओ की एक प्रति प्राप्त की जानी चाहिए और ऋण के दस्तावेज़ों के साथ रखी जानी चाहिए। केनरा पेंशन ऋण की मंजूरी संबंधी तथ्य की जानकारी पेंशन संवितरण प्राधिकरण को दी जानी चाहिए और अनुरोध किया जाना चाहिए कि हमसे अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना इसे स्थानांतरित न करें। योजना के तहत मंजूर की गई ऋणों की अद्यतन वसूली के लिए नियमित रूप से अनुवर्तन किया जाना है और चूक (डिफ़ॉल्ट) के मामले में निरंतर आधार पर पेंशनभोगी के ठिकाने का पता लगाते हुए तत्काल कदम उठाए जाने हैं।
हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिन्होंने आईबीए सामूहिक मेडिक्लेम इंश्यूरेंस पॉलिसी (आईबीए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी) का विकल्प चुना है, उनके लिए केनरा पेंशन ऋण योजना के योजना नियम (मानक)	**ऋण की मात्रा :** एक द्वितीय ऋण के रूप में आईबीए सामूहिक मेडिक्लेम इंश्यूरेंस पॉलिसी (आईबीए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी) का वार्षिक प्रीमियम विप्रेषित करने की पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगियों की अधिकतम ऋण की अर्हता इस प्रकार होगी :– वर्ष के लिए देय वार्षिक प्रीमियम की राशि। या केनरा पेंशन ऋण योजना के अनुसार अधिकतम पात्र ऋण राशि। या ₹90,000/– उक्त तीनों में से जो भी कम हो। यदि अर्ह हों तो, आईबीए सामूहिक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी(आईबीए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी) की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति सुविधा ली जा सकती है। तथापि, दोनों घटकों के अंतर्गत ऋण की मंजूरी और संवितरण के समय अधिकतम ऋण देयता 20 माह की पेंशन राशि या ₹10,00,000 (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

गृह पत्रिका और पुस्तकालय

केनराइट ऐप में गृह पत्रिका एवं पुस्तकालय अनुभाग प्रकाशन

एडीएम समूह, डीआईटी विभाग के साथ मिलकर हमने केनराइट ऐप में गृह पत्रिका एवं पुस्तकालय अनुभाग प्रकाशन के लिए एक लिंक बनाया है। हमारे 4 प्रकाशन यथा – श्रेयस, टुडेज टाइडिंग्स, एक्जीक्यूटिव डाइजेस्ट और ओकेशनल पब्लिकेशन अब नियमित रूप से केनराइट ऐप में (गृह

पत्रिका एवं पुस्तकालय अनुभाग प्रकाशन लिंक में) अपलोड किए जा रहे हैं और इसे हमारे बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) > Employees and Ex Employees > Ex Employees में भी उपलब्ध कराया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा श्रेयस में योगदान

हम अपनी गृह पत्रिका श्रेयस में हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आलेख, कविता, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि के रूप में योगदान स्वीकारते हैं। ऐसी सभी प्रविष्टियां लेखक की अपनी रचना होनी चाहिए और कहीं अन्यत्र प्राकशित नहीं हुई होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त योगदान की संवीक्षा गृह पत्रिका एवं पुस्तकालय अनुभाग द्वारा की जाएगी और छपने के लिए तैयार करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया जाएगा। एक बार इसके प्रकाशित होने पर, योगदानकर्ता को पृष्ठों की संख्या के आधार पर हम ₹1000 – ₹2000 तक के मानदेय का भुगतान करते हैं।

सेवानिवृत्ति के लिए कैसे तैयार हों

केवल कुछ व्यक्ति ही इसके विरोध में बोलेंगे कि सेवानिवृत्ति के लिए तैयार होना महत्वपूर्ण है। बल्कि अधिकांश सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाने के महत्व को समझेंगें। फिर भी, क्या करना है, कैसे करना है, यह जानना और वास्तव में करना, तीनों अलग–अलग पहलू हैं।

हर व्यक्ति एक अलग तरीके से सेवानिवृत्ति के लिए तैयार हो सकता है। निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के लिए तैयारी वित्तीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। जिन्हें अभी सेवानिवृत्त होने में कुछ वर्षों का वक्त है, उनका ध्यान एक आयामी (वित्तीय) हो सकता है। फिर भी, सेवानिवृत्ति योजना को सेवानिवृत्ति भय बनने से रोकने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या करना है।

1) **अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें**

   चाहे आपने बहुत पहले ही सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना आरंभ कर दिया हो, फिर भी आपको अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं और अपने समग्र वित्तीय स्वास्थ्य(स्थिति) की समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप कर्जदार हैं तो यह आपकी योजनाओं को प्रभावित करने की अधिक संभावनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। आपको यह भी पता होना और समझना आवश्यक है कि आपके मौजूदा सेवानिवृत्ति संविभाग के साथ क्या होने जा रहा है। जो भी हो, सेवानिवृत्ति आयोजना वित्तीय आयोजना का एक कार्य/हिस्सा है।

2) **अपनी सेवानिवृत्ति की कल्पना करें**

   आपको अपने आदर्श सेवानिवृत्ति के बारे में स्वप्न देखना चाहिए, परंतु सपने देखने और हकीकत जानने में संतुलन रहना चाहिए। आपके वित्त, संसाधन और यदि आवश्यक हो तो इनको त्यागने के संबंध में आपकी इच्छा की वास्तविक जाँच होनी चाहिए।

3) **अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्य निर्धारित करें**

आपके सेवानिवृत्ति लक्ष्य आपके सपनों को मापने योग्य लक्ष्यों में बदल देंगे। जब आप लक्ष्य निर्धारित करें तो आपके मन में समय–सीमा पर भी ध्यान होना चाहिए। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके सपनों की कीमत क्या है। तब आप एक संचित सेवानिवृत्ति निधि और आपकी आय धारा (पेंशन/वार्षिकी भुगतान) के संदर्भ में निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर पाने में सक्षम होंगे।

4) **तुलना करें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और आप कहाँ हैं**

अपनी जीवनशैली की आवश्यकताओं के आधार पर एक सरल वित्तीय परिकलन के माध्यम से आप निर्धारित कर सकते हैं कि एक दी हुई संचय दर पर अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको कितने और की आवश्यकता होगी।

5) **मुद्रास्फीति के कारक और 30 वर्षों की सेवानिवृत्ति अवधि**

वर्धित आयु–संभाव्यता, आकस्मिक व्यय, निश्चित आय और एक बढती हुई उच्चतर आयु–संभाव्यता के परिणाम सेवानिवृत्ति की वास्तविकता के अभिन्न अंग हैं। इस दिशा में पूर्ण प्रबंध कर लेने के अभाव में आप इस गलतफहमी में रह जायेंगे कि आपकी स्थिति अच्छी है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आपको इस बात का अहसास होगा कि आपकी लक्षित आय अत्यंत कम है या सेवानिवृत्ति–पश्चात मुद्रास्फीति से होनेवाले प्रभाव के लिए वित्त जुटाने में आप असफल रहे हैं तो आपको केवल दुःख और निराशा होगी।

6) **निर्धारित करें कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या करना है**

निम्नलिखित कारक आपको कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं :

i) सेवानिवृत्ति में आप जो जीवनशैली चाहते हैं।

ii) सेवानिवृत्ति बचत और निवेश पर आपकी प्राप्तियों की औसत दर।

iii) वित्तीय उत्पाद, जिन्हें आप सेवानिवृत्ति की तैयारी करने के प्रति चुनते हैं।

iv) आपकी सेवानिवृत्ति आयु।

आप इन सभी कारकों का इस्तेमाल अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है, ये निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। शायद आपको यथोचित लक्ष्य निर्धारित करना होगा या हो सकता है कि बहुत देरी से शुरु करने के कारण भविष्य में विश्व–भ्रमण करने की इच्छा को त्यागना पड़े।

7) **अपने सेवानिवृत्ति संविभाग को विकसित करें या संशोधित करें**

निवेश सूची में विविधीकरण विशेषतः आपके सेवानिवृत्ति निधि पर लागू होता है। चाहे आप सेवानिवृत्त होने के कगार पर हो या अभी काफी समय हो, आपको एक इष्टतम संविभाग बनाने की ज़रूरत है जो आय और नकदी विकल्प सहित वृद्धि विकल्पों द्वारा प्रस्तावित पूँजी वृद्धि की दृष्टि से सुरक्षित हो।

आप किस तरह से अपने सेवानिवृत्ति संविभाग में विविधता लाते हैं यह आपके निवेश क्षितिज पर अधिक आधारित होगा। आपके पास धन बाजार निधियों, म्यूचूअल फंड, वार्षिकियों (निश्चित या अनिश्चित), स्टॉक्स और विदेश–विनिमय बाजार को चुनने का विकल्प है। जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, वे एक आय स्रोत बनाने पर अधिक ध्यान देंगे। वे जिनके पास एक बड़ी निवेश अवधि है, वे पूँजी वृद्धि पर जोर दे सकते हैं।

8) **ऐसा बजट तैयार करें जो आपकी सेवानिवृत्ति योजना में सहायक हो।**
पिछले सभी कदम, सेवानिवृत्ति के लिए तैयार होने हेतु आयोजना चरणों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे। इस कार्यान्वयन चरण में आप तदनुसार अपने संसाधनों / वाहनों का आबंटन करेंगें। आपको ज्ञात होगा कि आप किन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और कितना ऋण चुकाने, बंधक घटाने, आपकी निश्चित वार्षिकियों, प्राथमिकता दिए जाने वाले स्टॉक और धन बाजार निधियों की ओर जाएगा। आप इस बजट से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो जाएंगें ताकि आप पथभ्रष्ट या विचलित नहीं हों।

9) **अपनी योजना की निगरानी करें**
सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी एक यात्रा है, एक विरामयुक्त संतव्य स्थान नहीं है। आपके हालात बदलते रहते हैं, वैसे ही आपके सेवानिवृत्ति लक्ष्य भी बदलते हैं। आपकी सेवानिवृत्ति की तैयारी में यह दिखना चाहिए।

यह मायने नहीं रखता कि आप जीवन के किस चरण में हैं। आप किस प्रकार सेवानिवृत्ति के लिए तैयार होते हैं और सेवानिवृत्ति चुनौतियों के बारे में जागरूकता का स्तर आपके द्वारा अपनाये गए तरीके की सफलता को निर्धारित करेगा। सेवानिवृत्ति की आयोजना के सफल होने के कई तरीके हैं। फिर भी, आपके इन कई तरीकों की पहचान करने की संभावनाएं अधिक हैं जब आप इन विस्तृत दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं।

(लेख का स्रोत / Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=D._Victor)

सेवानिवृत्ति के लिए स्वयं को कैसे अनुकूल करें ?

सेवानिवृत्ति की खुशियों से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार के बावजूद सेवानिवृत्त होना जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाल है। अनुसंधान बताता है कि बहुत से लोग परिवर्तन को लेकर संघर्षरत रहते हैं। अपने जीवन में इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?

आपको यह स्वीकार करना है कि सेवानिवृत्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हम सेवानिवृत्ति की कल्पना के बारे में इतना सुनते हैं कि बहुत से लोग रोजमर्रा के जीवन के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि सेवानिवृत्ति कोई विस्तारित अवकाश नहीं है। यदि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सेवानिवृत्ति के लिए प्रयास करने को लेकर मानसिक रूप से तैयार हैं तो इसके प्रति अनुकूलन आसान हो जाएगा।

गतिहीनता और गतिशीलता के बीच संतुलन खोजें। यदि आपका जीवन तनावपूर्ण और व्यस्त कामकाजी जीवन रहा है तो अत्यधिक गतिविधि या कुछ भी न करने के बीच डोलने की प्रवृत्ति होती है। दोनों के बीच संतुलन खोजें। सुनिश्चित करें कि आप इतने व्यस्त न हों कि आपके पास विश्राम का समय ही न हो । यह महत्वपूर्ण है कि आपके मस्तिष्क और शरीर को शान्त होने का अवसर दिया जाए, लेकिन इस हद तक नहीं कि इससे उदासीनता आ जाए।

ज़िम्मेदारियों के साथ आमोद–प्रमोद को संतुलित करें। एक तरफ, नए सेवानिवृत्त कर्मचारी गंभीरता के साथ उन कार्यों जिनको सेवानिवृत्ति के पूर्व नहीं कर पाये थे, को निपटने मे लग जाते हैं। कमरों की सफाई की जाती है, घर को रंगा जाता है, जो काम रुका हुआ था, वह रोज़गार की जगह ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग एक के बाद एक गतिविधि के साथ, फुरसत रहित जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक अच्छी सेवानिवृत्ति में न तो सभी काम होते हैं और न ही सभी खेल। योजनाओं को पूरा करने के लिए समय निकालना जितना महत्वपूर्ण है अवकाश और खेल गतिविधियों के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। काम और खेल दोनों को सही मात्रा में शामिल करते हुए जीवन जीना सेवानिवृत्ति को सर्वोत्तम बनाता है।

दिनचर्या बनाएं। आप जो चाहते हैं, और जब चाहते हैं, वह करने में सक्षम हो पाना आदर्श सेवानिवृत्ति का एक उदाहरण है। एक आदर्श सेवानिवृत्ति के लिए, तुरंत दिनचर्या बनाना शुरू करें। आपको प्रयोग करने और पैटर्न चुनने का मौका मिलता है, लेकिन जब आप शुरू से ही दिनचर्या स्थापित करते हैं तो आप जब भी जो भी चाहते हैं उसे करने के लिए आपको अधिक समय मिलेगा।

सहयोग और संबंधों की पहचान करें। कार्य संबंधों के टूटने से कई लोगों को अचानक झटका लग सकता है। यदि जीवनसाथी अभी भी काम कर रहा है, परिवार और दोस्त अपने व्यस्त जीवन में लगे हुए हैं, तो नव सेवानिवृत्त व्यक्ति अचानक खुद को अकेला और अलग–थलग महसूस कर सकता है। इसलिए, समान विचारधारा वाली मित्र मंडली की पहचान करें।

तुरंत स्वस्थ पैटर्न बनाएं। यदि आपने पूर्व में समय की कमी और काम की व्यस्तता के चलते व्यायाम करना और सही ढंग से खाना बंद कर दिया है, तो जैसे ही आप सेवानिवृत्त होते हैं, स्वस्थ आदतें विकसित करें। सुनिश्चित करें कि आप बाहर निकलें और किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करें। अपने खाने की आदतों को देखें और तय करें कि क्या आपने सही विकल्प चुना है। अगर नहीं, तो अभी से स्वस्थ(हेल्थी) खाना शुरू कर दें।

सीखने के लिए कुछ नया खोजें । अपने शरीर की तरह ही, अपने मस्तिष्क को भी सक्रिय और व्यस्त रखना सेवानिवृत्ति के पश्चात एक सफल परिवर्तनकाल के लिए सर्वोपरि है। क्लास लें, किताबें पढ़ें और खेल खेलें। यदि आपके कोई शौक नहीं हैं, तो यह पता लगाने में समय व्यतीत करें कि आप कौन सी नई रुचियां विकसित कर सकते हैं। आपको कई अलग–अलग गतिविधियों का प्रयोग

करना पड़ सकता है, लेकिन यह जानने के लिए, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें, कि आपकी रुचियों से अच्छे से क्या मेल खाता है।

ज्यादा सहज न हों। नई चुनौतियों और जोखिमों का सामना करें। मनुष्य सबसे अधिक जीवंत तब महसूस करता है जब वह अपने कम्फर्ट जोन से बाहर होता है। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद को विकसित करने के तरीके खोजें। नए लोगों से मिलें, स्वयंसेवक बनें, कोई नया खेल या नया शौक अपनाएं। यदि आप सहज महसूस नहीं करने के कारण किसी चीज़ को आज़माने के लिए अनिच्छुक हैं, तो ठीक उसी कारण से इसे आज़माएँ। सेवानिवृत्त होने पर आत्मतुष्टि का चुनाव सबसे खराब विकल्प है। सेवानिवृत्ति, जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह जीवन का सबसे खुशनुमा समय हो सकता है। इन सुझावों को अपनाकर, आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं।

(लेख का स्रोत / *Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Cathy_Severson)*

सेवानिवृत्ति में स्वास्थ्य / स्वस्थ सेवानिवृत्ति

सेवानिवृत्ति में आम तौर पर एक सक्रिय कार्यालयीन जीवन से अपेक्षाकृत धीमी गति वाले परिवर्तनकाल की शुरुआत होती है। यह स्वचालित रूप से तनाव, मानसिक और शारीरिक गतिविधि की कमी में तब्दील हो जाता है और इसलिए शरीर के लिए कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। कम हुई गतिविधियों को यदि वैकल्पिक गतिविधियों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है जिनसे नीरसता से बचा जा सकता है, तो व्यक्ति अत्यधिक स्नैक्स का सेवन करने लगता है और परिणामस्वरूप वजन बढ़ जाता है और यह लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर तत्कालिक और दीर्घकालिक दुष्परिणाम लेकर आता है। यथासंभव लंबे समय तक स्वस्थ और स्वतंत्र रहने के लिए, कम हुई शारीरिक गतिविधि को देखते हुए आहार सेवन में सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद की निष्क्रियता के कारण लंबे समय से चली आ रही चिकित्सा समस्याएं खराब स्वास्थ्य के रूप में सामने आती हैं, चूंकि विभिन्न कारणों के चलते गतिविधियों के ज़रिए अतिरिक्त कैलोरी बर्न करना संभव नहीं होता, आहार नियंत्रण सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में अहम केन्द्र–बिंदु है। इसके लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं :

1. एक दिन में 300 कैलोरी बर्न करने के लिए 40 मिनट तेज वॉक करें।

2. सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों, विशेष रूप से हृदय, मधुमेह और गठिया(आर्थराइटिस) से संबंधित स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिदिन 1 टेबल स्पून अलसी के पाउडर का सेवन करें।

3. हर रोज एक केला खाएं क्योंकि यह पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो निम्न रक्तचाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे लो कैलोरी [लगभग 80 – 1000 कैलोरी] स्नैक के

रूप में खाया जा सकता है। वहीं वड़ा, चकली, पकौड़े या पेस्ट्री के सेवन करने से बचना चाहिए क्योकिं प्रति सर्विंग लगभग 200 से 250 कैलोरी होती हैं।

4. हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कम से कम दो गिलास मखनिया (स्किम्ड) दूध पिएं।

5. नियमित व्यायाम, योग और आहार में संशोधन से शरीर में एचडीएल स्तर [अच्छे कोलेस्ट्रॉल] में काफी सुधार हो सकता है। अपना वसा–युक्त भोजन सावधानी से चुनें। पशु वसा, नारियल तेल और ताड़ के तेल का कम इस्तेमाल करें। केक, पेस्ट्री, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ में पाए जाने वाले ट्रांसफैटी एसिड से बचें।

6. अपने शरीर को पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं।

7. एसिडिटी के लिए सुबह खाली पेट 8 से 10 पुदीना के पत्ते [पुदीना(मिंट] चबाएं। खीरे का रस और कोमल नारियल का रस भी एसिडिटी से निपटने में मदद करता है।

8. पेट की चर्बी कम करें, जो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का प्रमुख कारण है। महिलाओं के लिए 35 इंच से अधिक और पुरुषों के लिए 40 इंच से अधिक की कमर की परिधि के संबंध में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

9. मधुमेह रोगियों को सख्ती से स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि वे मसूड़ों के संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए, आंख की कोई भी समस्या, अगर जल्दी पता चल जाए तो उसका इलाज जल्दी किया जा सकता है।

10. मिठाई की तृष्णा को फल, सुगंधित फल, दही या सूखे मेवों से संतुष्ट करें।

11. 10 से 15 ग्राम फाइबर को अपने आहार में शामिल करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम हो जाता है। उच्च फाइबर आहार कब्ज को न रोकने और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सूखे बीन्स, मटर, नट्स और सूखे मेवे शामिल करें। ...

(रेवती नटराज – आहार विशेषज़ / Revathi Nataraj - Dietician)

सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियां –
प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए युक्तियां(टिप्स)

आप कल्पना करें कि अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर जागने के बाद आपको यह लगे कि आपको कहीं जाना ही नहीं है। सेवानिवृत्ति का पहला दिन एक ही समय में अद्भुत और भ्रमित करने वाला हो

सकता है। क्योंकि सुबह 4 बजे उठना अब बीते दिनों की बात हो गई है, आपके मन में सवाल आएगा : अब क्या ? सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं।

1. रटी रटाई चीजों से बचें। पहले कुछ दिनों में आपको, अपने आप को एक नई तरह की स्वतंत्रता के लिए अभ्यस्त करना होगा । भोर में उठने के बजाय, बिस्तर पर लेटे रहना ही, कम से कम पहले सप्ताह के लिए काफी आकर्षक हो जाता है। इसके बाद उन गतिविधियों की एक सूची बनाएं, जिनमें आप हमेशा शामिल होना चाहते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, बस यह मायना रखता है कि इसकी वजह से आप घर से बाहर अवश्य निकलते हैं।

2. व्यायाम और पोषण। अब जबकि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो हो सकता है कि आप नियमित व्यायाम शुरू करना चाहें या वो करना चाहें जो इससे पहले कुछ समय के लिए आपने किया हो। जिम ज्वाइन करें या किसी मित्र को कॉल करें और सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलने का संकल्प लें। यदि उपयुक्त हो तो एक आहार योजना चुनें, और एक व्यायाम कार्यक्रम के संयोजन में आप अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनर्शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

3. अपनी रुचियों को फिर से परिभाषित करें। आप हमेशा से जो करना चाहते थे, लेकिन कभी अवसर या समय नहीं मिला? यात्रा, पेंटिंग, लेखन और बागवानी कुछ ऐसे शौक हैं जिन्हें आप पूर्णकालिक कौशल में बदलना चाहेंगे। शायद आप इतिहास, समाजशास्त्र, या कला संबंधी कक्षाओं में भाग लेना चाहें या शायद आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में घर–आधारित व्यवसाय शुरू करना चाहें। अब आप वे सब कर सकते हैं।

4. मस्तिष्क का व्यायाम करें। अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क के व्यायाम आपकी संज्ञानात्मक ज्ञान–संबंधी क्षमता में 10 साल जोड़ सकते हैं और स्क्रैबल, पहेली या ध्यान केंद्रित करने वाली समस्याओं जिनके लिए गहन सोच की आवश्यकता होती है, जैसी गतिविधियों के माध्यम से दिमागी शक्ति बढ़ा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम जितना महत्वपूर्ण है मस्तिष्क का व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है।

सेवानिवृत्ति में कई विकल्प होते हैं। आप एक गतिहीन जीवन जी सकते हैं क्योंकि, आखिरकार, आपने बहुत मेहनत की है और अब आपको आराम करने का पूरा हक है; या आप उन गतिविधियों में शामिल होना चुन सकते हैं जो न केवल आपकी जीवनशैली में सुधार ला सकती हैं, बल्कि आपको उन सभी चीजों का पूरी तरह से पता लगाने का अवसर देती हैं जिनमें जीवन भर आपकी रुचि रही है। बाद वाला विकल्प अधिक रोमांचक लगता है, है ना ?

प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाएं क्योंकि अब आप ऐसा कर सकते हैं।

*****

आनंद लें :

एक महिला ने घर आकर अपने सेवानिवृत्त पति को लपेटा हुआ अखबार सिर के चारों ओर लहराते हुए देखा।

पत्नी : 'क्या कर रहे हैं डियर ?'

पति : 'मक्खियों को भगा रहा हूँ – मैंने 3 नर और 2 मादाओं को भगाया।

पत्नि : 'आप कैसे जानते हैं कि वे किस लिंग के थे?'

पति : 'आसान – '3 बियर पर थे और अन्य 2 फोन पर'

आज हम अल्बर्ट को हमारी कंपनी के प्रति उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। अल्बर्ट वह है जो असंभव कार्य का मतलब नहीं जानता है, जो लंच ब्रेक का अर्थ नहीं जानता है, जो 'नहीं' शब्द का अर्थ भी नहीं समझता है। इसलिए हम सबने मिलकर अल्बर्ट के लिए एक शब्दकोश खरीदा है।

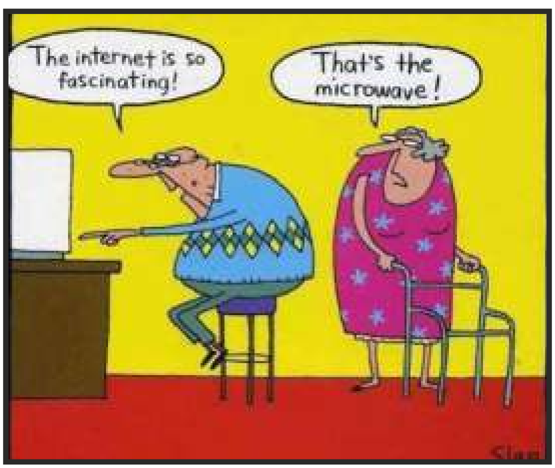

सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले, एक श्रमिक अपने पर्यवेक्षक के साथ दोपहर के भोजन करने बैठा था।

''आखिरी दिन, वाकई?'' पर्यवेक्षक ने पूछा। ''क्या तुम सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो?''

''मैं इस संबंध में–यह कहना चाहूँगा'', श्रमिक ने कहा। "सबसे दयनीय स्थिति जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, वह यह कि एक निर्दयी मालिक के निर्देशन में लगातार शारीरिक श्रम करते हुए वर्षों बिताया है।''

''वाह,'' पर्यवेक्षक ने कहा। ''मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारा जीवन इतना दुःखमय बना दिया था। वास्तव में, मुझे लगता था कि तुमको यह काम पसंद है।''

''मुझे यह काम अवश्य पसंद है। मैं अपनी सेवानिवृत्ति को लेकर अपनी पत्नी की योजनाओं के बारे में जिक्र कर रहा था।''

एकदम नया हियरिंग एड (कान की मशीन):

एक बुजुर्ग सज्जन, जिन्हें कई वर्षों से सुनने की गंभीर समस्या थी, डॉक्टर के पास एक हियरिंग एड लगवाने के लिए गए, जिससे उनकी सुनने की शक्ति 100% हो जाएगी।

बुज़ुर्ग सज्जन एक महीने बाद आगे के परीक्षणों के लिए वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, ''तुम्हारी सुनने की क्षमता एकदम सही है। आपका परिवार बहुत खुश होगा कि आप फिर से सुन सकते हैं।''

इसके जवाब में सज्जन ने जवाब दिया, 'ओह, मैंने अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया। मैं बस इधर–उधर बैठकर बातचीत सुनता हूँ। मैंने अपनी वसीयत तीन बार बदली है!''

103 वर्षीय बुजुर्ग

एक रिपोर्टर एक 103 वर्षीय महिला का साक्षात्कार कर रहा था: ''आपको क्या लगता है कि 103 साल के होने में सबसे अच्छी बात क्या है?'' रिपोर्टर ने पूछा।

उस महिला ने सहजता से जवाब दिया, ''बराबरी को लेकर कोई तनाव नहीं रहता।''

हाईवे पर ड्राइविंग:

एक वरिष्ठ नागरिक हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे, तभी उनका सेल फोन बज उठा। फोन उठाया तो उनकी पत्नी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'हाय, मैंने अभी–अभी खबर सुनी है कि हाईवे पर एक कार गलत रास्ते पर जा रही है। कृपया सावधान रहें!''

''जाने दो!'' आदमी ने कहा, ''ये सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों हैं!''

सेवानिवृत्ति की परिभाषा

Responsibility	:	परिवार, समाज और मातृभूमि के प्रति उत्तरदायित्व;
Endurance	:	सहनशीलता सहिष्णुता है और आपको सम्मानजनक बनाती है;
Togetherness	:	एकजुटता जीवन में खुशियाँ लाती हैं;
Interest	:	जीवन में रुचि आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती है;
Ripe	:	परिपक्व विचार मानसिक शांति के द्वार खोलते हैं;
Enjoy	:	जीवन के हर एक पल का आनंद लें;
Movement	:	सही रास्ते पर चलना स्वस्थ जीवन का प्रतीक है;
Eat	:	अच्छा खाओ न कि अधिक;
No	:	कोई गलत काम न करें, साथ ही कायर न बनें;
Teach	:	आपने जो सीखा है उसे दूसरों को सिखाएं।

''सेहत का ख्याल रखें,
वास्तव में हमेशा खुश रहें,
निडर रहें आयु संभाव्यता के सामने,
वृद्धाप्यता को अपना लें और
तिरस्कार किसी का कभी न करें।।''

महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर एवं संपर्क का विवरण

क्र.सं.	अंचल का नाम	फोन	ई – मेल
1	आगरा	0562-3500613	hrmcoagra@canarabank.com
2	अहमदाबाद	079-69027841/69027834	hrmcoahd@canarabank.com
3	बेंगलूरु	080-25310012/25310016	blrhrm@canarabank.com
4	भोपाल	0755-2576547/2559953	hrmcobpl@canarabank.com
5	भुवनेश्वर	0674-2391330/2391517	hrmcobhu@canarabank.com
6	चण्डीगढ़	0172-2615535 / 2605238	hrmcochd@canarabank.com
7	चेन्नई	044-24349354	hrmcochn@canarabank.com
8	दिल्ली	011-26286217	hrmcodel@canarabank.com
9	गुवाहाटी	0361-2334009	hrmcoguw@canarabank.com
10	हुब्बली	0836-2239471/72	hrmcohub@canarabank.com
11	हैदराबाद	040-27725211/27725232	hrmcohyd@canarabank.com
12	जयपुर	0141-2222884	hrmcojpr@canarabank.com
13	करनाल	0184-4063668/4063679	hrmcokar@canarabank.com
14	कोलकाता	033-22831504/22831508	hrmcokol@canarabank.com
15	लखनऊ	0522-2307607	hrmcoluck@canarabank.com
16	मदुरै	0452-2333828	hrmcomdu@canarabank.com
17	मंगलूरु	0824-2441097/2863431	hrmcomlr@canarabank.com
18	मणिपाल	0820-2572085	hrmcompl@canarabank.com
19	मुम्बई	022-26535329 / 26728306	staffocomcity@canarabank.com
20	पटना	0612-2320843	hrmcopat@canarabank.com
21	पुणे	020-25530624	hrmcopne@canarabank.com
22	रांची	0651-2331529/2332702	hrmranchico@canarabank.com
23	तिरुवनंतपुरम	0471-2320255 / 2331342	hrmcotvm@canarabank.com
24	विजयवाड़ा	0866-2428852/2428857	hrmcovij@canarabank.com
25	एचओएसए (होसा) अनुभाग	080 -22223161	hosa@canarabank.com
26	एसए अनुभाग	080-25310134	inspwingsas@canarabank.com

1. औद्योगिक संबंध अनुभाग मानव संसाधन विभाग नम्बर 112, जे. सी. रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु – 560 002. फोन : 080–22116914 / 080–22116923 ई–मेल : hoir@canarabank.com	2. कार्मिक प्रबंधन अनुभाग मानव संसाधन विभाग, नम्बर 112, जे. सी. रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु – 560 002. फोन: 080–22116916 ई–मेल: hopm@canarabank.com
3. केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन निधि मानव संसाधन विभाग नम्बर 14, एम.जी. रोड, प्रधान कार्यालय अनेक्स, नवीन कॉम्प्लेक्स बेंगलूरु – 560 001. फोन: 080–25323801 ई–मेल : hopenfund@canarabank.com	4. कर्मचारी भविष्य निधि एवं उपदान अनुभाग मानव संसाधन विभाग नम्बर 14, एम.जी. रोड, प्रधान कार्यालय अनेक्स, नवीन कॉम्प्लेक्स बेंगलूरु – 560 001. फोन: 080–25321985 ई–मेल : hospf@canarabank.com
5. प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन अनुभाग मानव संसाधन विभाग नम्बर 112, जे. सी. रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु – 560 002. फोन: 080–22223161 / 080–22223389 ई–मेल : hosa@canarabank.com	

शिकायतों के शीघ्रता से समाधान हेतु संपर्क का एकल बिंदु

बैंक ने टर्मिनल बेनिफिट सेक्शन के पर्यवेक्षी, मंडल प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक को संपर्क के एकल बिंदु के रूप में नामित किया है ताकि भूतपूर्व कर्मचारियों की अनसुलझी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके।

हमारे बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में पाथ **Announcements** >> **Ex-employees** में संपर्क के एकल बिंदु का विवरण दिया गया है।

****

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा की युक्तियाँ(टिप्स): ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’

निम्नलिखित साइबर सुरक्षा संबंधी ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’, हमें सतर्क रहने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की याद दिलाने में मदद करते हैं।

- ✓ कठिन पासवर्ड या पासफ्रेज़ का उपयोग करें। एक पासवर्ड में कम से कम 10 कैरक्टर्स(अक्षर) होने चाहिए जिसमें अपरकेस अक्षरों, लोअरकेस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का उपयोग किया गया हो। आपके लिए याद रखना आसान हो लेकिन किसी अटैकर के लिए अनुमान लगाना कठिन हो, ऐसा अक्षरयुक्त पासवर्ड(संक्षिप्त) बनाएं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा वाक्यांश चुनें जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो, जैसे I go for 30 minutes of Brisk Walk daily ("मैं रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक के लिए बाहर निकलता हूँ") उस वाक्यांश को अपने गाइड के रूप में उपयोग करते हुए, आप अपने पासवर्ड के लिए Igf30moBWd का उपयोग कर सकते हैं।
- ✓ अलग–अलग अकाउंट के लिए अलग–अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। यदि एक पासवर्ड हैक हो जाता है, तो आपके अन्य खातों के संबंध में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े।
- ✓ अपने पासवर्ड या पासफ्रेज़ को गोपनीय रखें। उन्हें दूसरों के साथ साझा न करें या उन्हें लिखकर न रखें। अपनी साख से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए आप ज़िम्मेदार हैं।
- ✓ ईमेल/एसएमएस में फ़िशिंग ट्रैप का ध्यान रखें और स्पैम इंगित करने वाले संकेतों को देखें। यदि आपको कोई संदिग्ध ईमेल/एसएमएस प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा यह होगा कि ईमेल/एसएमएस को तुरंत डिलीट कर दिया जाए।
- ✓ जब जानकारी की आवश्यकता न हो तो उसे उचित रूप से नष्ट कर दें।
- ✓ संवेदनशील जानकारी को प्रिंट, कॉपी, टेक्स्टिंग या चर्चा करते समय अपने आसपास के परिवेश को ध्यान में रखें।
- ✓ उपयोग में न होने पर अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को लॉक कर दें। यह डेटा को अनधिकृत पहुंच और उपयोग से बचाता है।
- ✓ सार्वजनिक वाई–फाई का उपयोग करने से बचें।
- ✓ अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए सोशल मीडिया साइटों पर गोपनीयता सेटिंग्स का उपयोग करें।
- ✓ सभी संदिग्ध गतिविधियों और साइबर घटनाओं की सूचना अपनी नजदीकी शाखाओं को दें।

DOs

क्या करें

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा की युक्तियाँ(टिप्स): 'क्या करें' और 'क्या न करें'

निम्नलिखित साइबर सुरक्षा संबंधी 'क्या करें' और 'क्या न करें', हमें सतर्क रहने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की याद दिलाने में मदद करते हैं।

DON'Ts

क्या न करें

- ✓ किसी अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोत से प्राप्त लिंक पर क्लिक **न करें**। साइबर अटैकर अक्सर इनका उपयोग, आपको दुर्भावनापूर्ण साइटों पर ले जाने और मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए करते हैं, और आपका डेटा चोरी करने के लिए किया जा सकता है।
- ✓ संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा **न करें**।
- ✓ अपने डेस्क पर निजी जानकारी वाले प्रिंटआउट या पोर्टेबल मीडिया **न छोड़ें**। अनधिकृत प्रकटीकरण के जोखिम को कम करने के लिए उन्हें एक दराज में बंद करें।
- ✓ कोई भी निजी या संवेदनशील जानकारी, जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट **न करें**।
- ✓ गोपनीय जानकारी देने की बात को लेकर किसी के झांसे में न आएं। किसी अनधिकृत व्यक्ति के लिए कॉल करना और कर्मचारी या व्यावसायिक भागीदार होने का दिखावा करना आसान है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी जैसे गोपनीय डेटा का अनुरोध करने वाले फोन कॉल या ईमेल का जवाब न दें।
- ✓ उपकरणों को अप्राप्य (अनअटेंडेड) **न छोड़ें**। लैपटॉप और सेल फोन जैसे सभी मोबाइल उपकरणों को भौतिक रूप से सुरक्षित रखें।
- ✓ उपयोग में न होने पर वायरलेस या ब्लूटूथ को चालू **न रखें**। ऐसा केवल तभी करें जब उपयोग करने की योजना बना रहे हों और ऐसा केवल सुरक्षित वातावरण में करें।
- ✓ किसी अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोत से एप्लिकेशन डाउनलोड **न करें**। हमेशा एप्लीकेशन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें।
- ✓ विश्वसनीय स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन को भी अनावश्यक अनुमति **न दें**।

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ केनरा बैंक Canara Bank
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ (भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ सिंडिकेट Syndicate

ऑनलाइन सावधि जमा

➤ ऑनलाइन सावधि जमा खोलने के फायदे ...

01 दुनिया में कहीं से भी, कभी भी जमा खाता खोला जा सकता है।	कुछ ही पलों में ऑनलाइन जमा खाता खोला जा सकता है। 02
03 कोई प्रपत्र भरने या प्रलेखीकरण का झंझट नहीं।	राशि सीधे ग्राहक के बचत खाते से डेबिट की जाएगी। 04
05 बस एक क्लिक से जमा का आंशिक आहरण किया जा सकता है।*	बस एक क्लिक से जमा का परिपक्वतापूर्व आहरण किया जा सकता है।* 06
07 बस एक क्लिक से जमा का नवीनीकरण किया जा सकता है।	जमा नामिती का नाम ऑनलाइन जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। 08

* बशर्ते कि सावधि जमा रसीद शाखा स्तर पर न सृजित की गई हो।

➤ सावधि जमा खाता निम्नलिखित किसी भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से खोला जा सकता है।

➤ इंटरनेट बैंकिंग डेस्कटॉप वर्जन (Deposits>>Open Fixed Deposit)

➤ इंटरनेट बैंकिंग लाइट वर्जन (Deposits>>Open New Deposit)

➤ केन्डी मोबाइल बैंकिंग ऐप (Deposits>>Open New Deposit)

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ सिंडिकेट Syndicate

मोबाइल बैंकिंग स्वयं-सक्रियन (सेल्फ-ऑनबोर्डिंग)

चरण-1

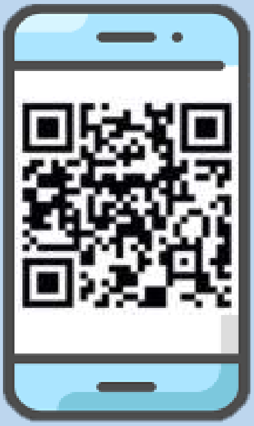

केन्डी ऐप, प्ले स्टोर / एप्पल स्टोर से या उपरोक्त क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड करें।

चरण-2

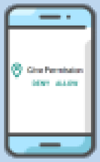

सभी अनुरोधित अनुमति प्रदान करें।

चरण-3

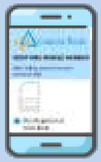

बैंक में पंजीकृत सिम/नंबर का चयन करें। सुनिश्चित करें कि सिम में वैध एसएमएस पैक की उपलब्धता है।

चरण-4

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे ऐप द्वारा स्वत: रीड किया जाएगा।

चरण-5

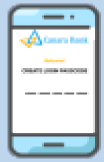

लॉगिन के लिए 5 अंकीय पासकोड सृजित करें।

चरण-6

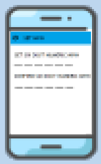

6 अंकों के न्यूमेरिक एमपिन का सृजन करें।

चरण-7

आपका डेबिट कार्ड विवरण प्रविष्ट करें।

चरण-8

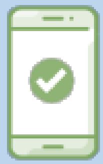

केनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का आनंद लें।

यूपीआई स्वयं सक्रियन (सेल्फ-ऑनबोर्डिंग)

चरण-1

केनडी ऐप, प्ले स्टोर / एप्पल स्टोर से या उपरोक्त क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड करें और सभी अनुरोधित अनुमति प्रदान करें।

चरण-2

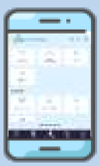

स्क्रीन के निचले हिस्से में उपलब्ध भीम यूपीआई आइकन पर क्लिक करें।

चरण-3

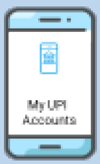

माई यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करें और डिवाइस बाइंडिंग के साथ आगे बढ़ें।

चरण-4

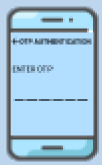

मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे ऐप द्वारा स्वत: रीड किया जाएगा।

चरण-5

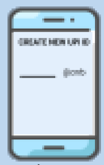

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे ऐप द्वारा स्वत: रीड किया जाएगा।

चरण-6

महत्वपूर्ण सुरक्षा बिंदुओं को पढ़ें।

चरण-7

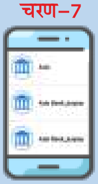

आप अपने किसी भी बैंक खाते का चयन करें। (आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए)

चरण-8

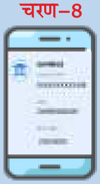

आपके नाम पर उस बैंक में उपलब्ध सभी खाते स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। राशि सीमा और यूपीआई पिन सेट करें।

चरण-9

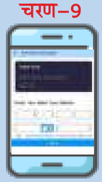

आपके लिंक्ड डेबिट कार्ड का विवरण प्रविष्ट करें (चयनित खाते के लिए) और ओटीपी के साथ पुष्टि करें।

चरण-10

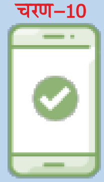

केनरा बैंक यूपीआई सेवाओं का आनंद लें।

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ केनरा बैंक Canara Bank

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ (भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ सिंडिकेट Syndicate

इंटरनेट बैंकिंग स्वयं सक्रियन (सेल्फ–ऑनबोर्डिंग)

चरण–1

https://netbanking.canarabank.in पर जाएं।

केनरा बैंक वेबसाइट **https://netbanking.canarabank.in** पर जाएं।

चरण–2

"New Registration" पर क्लिक करें।

"न्यू रजिस्ट्रेशन" विकल्प का चयन करें।

चरण–3

नियम व शर्तें पढ़ें और "I Agree" विकल्प पर क्लिक करें।

नियम व शर्तें पढ़ें और "Accept" पर क्लिक करें।

चरण–4

इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।

प्रपत्र में अनुरोधित खाता विवरण भरें।

चरण–5

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें।

फॉर्म सबमिट करने पर ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

चरण–6

लॉगिन पासवर्ड सृजित करें।

एक प्रबल लॉगिन पासवर्ड सृजित करें जिसे आप याद रख सकें।

चरण–7

अपने यूजर आई डी और पासवर्ड का उपयोग कर इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें

आपको लॉगिन के लिए होम पेज पर पहुँचाया जाएगा।

चरण–8

"Generate/Unlock Transaction Password" पर क्लिक करें

यह विकल्प पेज के ऊपरी हिस्से में उपलब्ध होगा।

चरण–9

डेबिट कार्ड विवरण व मोबाइल पर प्राप्त ओ टी पी दर्ज करें

अपना डेबिट कार्ड विवरण और पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें और प्रोसीड पर क्लिक करें।

चरण–10

लेनदेन पासवर्ड निर्मित करें और सेवाओं का आनंद लें

एक प्रबल ट्रांजेक्शन पासवर्ड का सृजन करें जिसे आप याद रख सकें और सभी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का आनंद लें।

मोबाइल बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु :

1. निम्नलिखित खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती है:
   - क) व्यक्तिगत खाते, एनआरआई खाते, नाबालिग के लिए अभिभावक द्वारा परिचालित खाते, 10 वर्ष से अधिक के नाबालिग के खाते।
   - ख) संयुक्त खाते जहाँ परिचालन शर्त पृथक रूप में – संयुक्त या प्रथम (जेओएफ) हो या संयुक्त या अन्य (जेओओ) हो।
   - ग) स्वामित्व कंपनी (प्रोप्राइटरशिप फर्म)
   - घ) भागीदारी प्रतिष्ठान (पार्टनरशिप कनसर्न)
   - ङ) संयुक्त पूंजी कंपनियाँ (सार्वजनिक व निजी दोनों)
   - च) सोसाइटियाँ / क्लब / संघ / सहकारी संस्थाएं / न्यास
   - छ) सरकारी निकाय
   - ज) हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)

2. निम्नलिखित खाते इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं :
   - क) संयुक्त खाते जहाँ परिचालन शर्त "पृथक" से अन्य है।
   - ख) न्यायालय आदेश / कुर्की आदेश के तहत आने वाले खाते।
   - ग) निष्क्रिय खाते।
   - घ) विवाद, मुकदमों आदि जैसे विभिन्न कारणों से अवरोधित खाता/खाते।
   - ङ) पात्र खातों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य खाता।

श्री अम्मेम्बाल सुब्बाराव पै

संस्थापक, केनरा बैंक

हमारा प्रेरणा स्रोत

"एक अच्छा बैंक न केवल समाज का
वित्तीय हृदय होता है,
बल्कि आम जनता की आर्थिक हालत
में सुधार लाने के लिए हर तरीके से मदद
करने का दायित्व भी उसका है।

– अम्मेम्बाल सुब्बाराव पै

केवल आंतरिक परिचालनार्थ